श्री सुबाष सिंह
माननीय मंत्री
सहकारिता विभाग

बिहार सरकार

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

# सहकारिता विभाग

सशक्त सहकारिता, समर्थ बिहार

## वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22

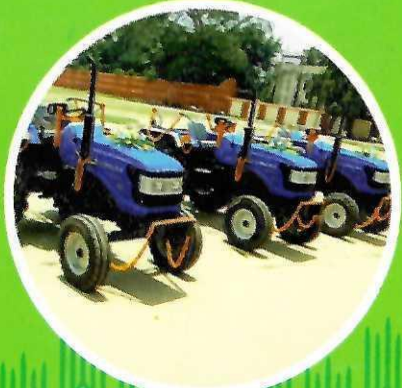

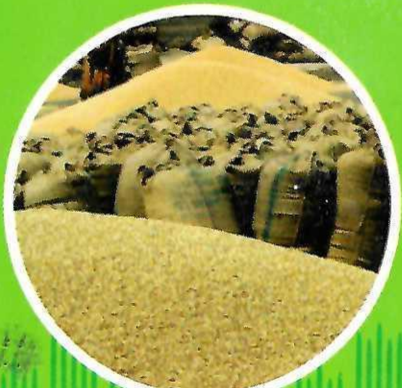

माननीय मंत्री, सहकारिता, बिहार श्री सुबाष सिंह
के द्वारा विभागीय सचिव की उपस्थिति में विभाग के
शिकायत निवारण प्रणाली 'सुगम' का उद्घाटन

माननीय मंत्री, सहकारिता, बिहार श्री सुबाष सिंह के द्वारा
गोपालगंज में सहकारी बंधुओं एवं कर्मियों का संबोधन

बिहार सरकार

**श्री सुबाष सिंह**
**माननीय मंत्री**
**सहकारिता विभाग**

सहकारिता विभाग का वर्ष 2021–22 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

राज्य की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सहकारिता एक सशक्त माध्यम है इसलिये ''भारतीय संविधान के 97–वे संशोधन'' द्वारा देश के नागरिकों को सहकारी–समिति के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और राज्यों को सहकारी–समितियों के गठन एवं विकास का दायित्व सौपा गया है। भारत सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल करते हुए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। नवसृजित मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य सहकारिता प्रक्षेत्र के सम्यक् विकास हेतु प्रशासनिक, विधिक एवं नीतिगत ढ़ाँचे को विकसित करते हुए सहकारिता के क्रिया–कलाप को आसान बनाना एवं जन–आधारित ऊर्जावान सहकारी समितियों को विकसित करना है। वर्तमान समय में सहकारिता क्षेत्र में कृषि साख की उपलब्धता, कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था, अधिप्राप्ति के माध्यम से कृषकों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना, फसलों की क्षति होने पर बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत योग्य किसानों हेतु क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना, पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना आदि विभाग के मुख्य कार्य है।

वर्तमान धान अधिप्राप्ति वर्ष 2021–22 में अधिप्राप्ति प्रक्रिया के सरलीकरण के पश्चात् राज्य के इच्छुक किसानों खास कर लघु एवं सीमान्त किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ ससमय सुनिश्चित हुआ। राज्य का सांकेतिक लक्ष्य 45.00 लाख मे॰टन के आलोक में निर्धारित समय–सीमा अंतर्गत 7104 समितियों द्वारा 6.42 लाख किसानों से 44.91 लाख मे॰टन (99.79 प्रतिशत) धान की अधिप्राप्ति की गयी है, जिसमें से रैयत 2.59 लाख किसानों से 20.96 लाख मे॰टन तथा गैर–रैयत (लघु एवं सीमान्त) 3.83 लाख किसानों से 23.95 लाख मे॰टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है। किसानों को 8596 करोड़ रुपये का भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किया जा चुका है। अधिप्राप्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाने हेतु इस वर्ष Procurement Portability System एवं IVRS Call Centre (सुगम) लागू किया गया है। Procurement Portability System के तहत् भी 58878 किसानों द्वारा 4.46 लाख मे॰टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है।

सहकारिता आंदोलन का मूल आधार अधिकाधिक जन–भागीदारी है। इस जन–भागीदारी के लिये पैक्सों में सदस्यता का आवेदन ''ऑन–लाईन'' प्राप्त किया जा रहा है। इसके माध्यम से अबतक 4.5 लाख सदस्य बनाये जा चुके है।

राज्य में सब्जी उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिले एवं उपभोक्ताओं को बाजार से अपेक्षाकृत कम मूल्य पर तथा अधिक गुणवत्ता के साथ सब्जी उपलब्ध हो, के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था करने के साथ–साथ उत्पादों का मूल्य–संवर्द्धन हेतु त्रि–स्तरीय सहकारी संरचना का आधार तैयार किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में सब्जी उत्पादकों की 20 जिलों में 279 प्रखण्ड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का निबंधन किया जा चुका है। इस योजना अन्तर्गत सब्जी उत्पादों के ब्राण्ड का नाम ''तरकारी'' है। इस योजनांतर्गत गठित समितियों की सब्जी व्यवसाय का समेकित टर्न ओवर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है।

# 1. विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ

| क्र॰सं॰ | योजना | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **अधिप्राप्ति** | | | |
| | (क) खरीफ 2020–21 मौसम (धान) | 6474 (चयनित)<br>6172 (कार्यशील)<br>पैक्स / व्यापारमण्डल | 35.58 लाख मे॰टन<br>(4.97 लाख किसानों से) | |
| | (ख) रब्बी 2020–21 मौसम (गेहूँ) | 4393 (चयनित)<br>185 (कार्यशील)<br>पैक्स / व्यापारमण्डल | 4920.98 मे॰ टन<br>(980 किसानों से) | |
| | (ग) खरीफ 2021–22 मौसम (धान) | 7450 (चयनित)<br>7104 (कार्यशील)<br>पैक्स / व्यापारमण्डल | 44.91 लाख मे॰टन<br>(6.42 लाख किसानों से) | |
| | (घ) रबी 2021–22 मौसम (गेहूँ) | 5644 (चयनित)<br>4662 (कार्यशील)<br>पैक्स / व्यापारमण्डल | 4.55 लाख मे॰टन<br>(97 हजार किसानों से) | |
| 2. | **बिहार राज्य फसल सहायता योजना** | **निबंधित कृषकों की संख्या** | **लाभान्वित किसानों की संख्या** | **किसानों को भुगतान की गई राशि** |
| | (क) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2020) | 3929108 | 467450 | 227.69 करोड़ रूपये |
| | (ख) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2020–21) | 1333100 | 177904 | 69.57 करोड़ रूपये |
| | (ग) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2021) | 1566432 | – | – |
| | (घ) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2021–2022) 07.02.2022 तक | 928268 | निबंधन गतिमान | |
| 3. | **बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना** | | | |
| | बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना। | आच्छादन–20 जिले<br>PVCS-279<br>संघ–03<br>फेडरेशन–01 | PVCS स्तर पर निर्माण–07 पूर्ण, 02 निर्माणाधीन। तीनों संघ द्वारा सब्जी व्यवसाय में कुल टर्न ओवर–<br>मात्रा–25348.22 मे॰टन<br>राशि–51.06 करोड़ रु॰<br>E-commerce-17803 आपूर्त्ति। | |
| 4. | **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/राज्य योजना** | | | |
| | (क) वर्ष 2019–20 में गोदाम निर्माण | लक्ष्य–1250 | 245 पूर्ण (बैकलॉग सहित) | |
| | (ख) वर्ष 2019–20 में विद्युत आधारित (ड्रायर सहित) चावल मिल की स्थापना | लक्ष्य–40 | 51 पूर्ण (बैकलॉग सहित) | |
| | (क) वर्ष 2020–21 में गोदाम निर्माण | लक्ष्य–750 | 128 पूर्ण (बैकलॉग सहित) | |
| | (ख) वर्ष 2020–21 में विद्युत आधारित (ड्रायर सहित) चावल मिल की स्थापना | लक्ष्य–50 | 26 पूर्ण (बैकलॉग सहित) | |
| | (क) वर्ष 2021–22 में गोदाम निर्माण | लक्ष्य–750 | 247 पूर्ण (बैकलॉग सहित) | |
| | (ख) वर्ष 2021–22 में विद्युत आधारित (ड्रायर सहित) चावल मिल की स्थापना | लक्ष्य–20 | 05 पूर्ण (बैकलॉग सहित) | |

| क्र०सं० | योजना | | |
|---|---|---|---|
| 5. | **समेकित सहकारी विकास परियोजना** | | |
| | (क) पूर्व में कार्यान्वित जिले | गेपालगंज, मधुबनी, गया, सीतामढ़ी, आरा, छपरा, सीवान, कैमूर, खगड़ियां शिवहर, वैशाली नालन्दा, जहानाबाद एवं अररिया | 24496.57 लाख रू. की लागत से। |
| | (ख) कार्यान्वित किये जा रहे जिले | मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, बेतिया एवं पूर्णियाँ | 49255.99 लाख रू. की लागत से। |
| | (ग) जिला जो आच्छादन के प्रक्रिया में है। | 16 जिलालखीसराय, जमुई, अरवल, पटना, नवादा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, बाँका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, किशनगंज, मधेपुरा, शेखपुरा एवं समस्तीपुर | |
| 6. | **समेकित सहकारी विकास परियोजना की भौतिक उपलब्धि** | | |
| | (क) पैक्सों में गोदाम निर्माण (पूर्व में कार्यान्वित किये गये जिलों में) | 1389 | |
| | (ख) पैक्सों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में) | 465 का कार्यादेश निर्गत, 388 पूर्ण, 77 निर्माणाधीन | |
| | (ग) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (पूर्व में कार्यान्वित किये गये जिलों में) | 93 | |
| | (घ) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में) | 22 का कार्यादेश निर्गत, 15 पूर्ण, 7 निर्माणाधीन | |
| | (ङ) परियोजनान्तर्गत प्रशिक्षित सहकारी समितियों के पद धारक/सदस्य | पूर्व में कार्यान्वित जिलों में 152673 | कार्यान्वित की जा रही जिलों में 1928 (दिसम्बर, 2021 तक) |
| | समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत व्यवसायिक उपलब्धि (वर्ष 2020–21) | 2076.68 लाख रूपये का व्यवसाय (दिसम्बर, 2021 तक) | |
| 7. | **अल्पकालीन कृषि ऋण का वितरण** | | |
| | (क) किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण वित्तीय वर्ष 2019–20 | सदस्य–77506 | 19770.60 लाख रूपये |
| | (ख) किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण वित्तीय वर्ष 2020–21 | सदस्य–72987 | 20425 लाख रूपये |
| | (ग) किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण। वर्ष 2021–22 (दिनांक–05.02.2022 तक) | सदस्य–47859 | 13159.09 लाख रूपये |
| 8. | **पैक्सों में सदस्यता अभियान** | | |
| | राज्यान्तर्गत 8463 पैक्सों में 1.20 करोड़ (एक करोड़ बीस लाख) सदस्य है, जिसमें लगभग 36 (छत्तीस लाख) लाख महिलायें है। राज्य में पैक्स की सदस्यता से वंचित परिवार के सदस्यों को सदस्यता दिलाने हेतु विभाग द्वारा ऑन लाईन सदस्यता की व्यवस्था की गयी है। विभागीय वेबसाईट www.cooperative.bih.nic.in के माध्यम से कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऑन लाईन आवेदन कर पैक्स का सदस्य बन सकता है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 4.5 लाख आवेदकों को पैक्स का सदस्य बनायो जा चुका है। | | |

| क्र०सं० | योजना | | |
|---|---|---|---|
| 9. | **मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना** | | |
| | मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करना है जिसके माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों की आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके तथा राज्य की कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक हस्तक्षेप संभव हो। | इस योजना के लिए प्रथम वर्ष 2020–21 में 2927 पैक्सों के लिए प्रति पैक्स 15.00 लाख रू0 की दर से कुल मो0–439.05 करोड़ रूपये प्राप्त है। | राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक पैक्स को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु 50% ऋण (ब्याज सहित) एवं 50ः अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी जायेगी। पैक्सों को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाने वाली राशि 05 (पाँच) वर्षों में 10 (दस) अर्द्धवार्षिक किस्तों में सूद सहित वसूल की जायेगी। सम्प्रति इस वित्तीय वर्ष में 2927 पैक्सों को कृषि संयंत्र योजना के तहत प्रति पैक्स 15 लाख रूपये की दर से प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध कराते हुए Gem Portal के माध्यम से कृषि संयंत्र के क्रय की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है। |
| 10. | **सहकार भवन** | | |
| | सहकारिता विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक स्थान पर अवस्थित कराने के उद्देश्य से सहकार भवन का निर्माण। | राज्य योजना अंतर्गत कुल लागत 61.74 करोड़ से छः प्रमंडलीय मुख्यालय यथा पटना, कोशी, भागलपुर, गया (मगध), पूर्णियाँ, दरभंगा एवं 18 जिला मुख्यालय यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बांका, किशनगंज, कटिहार, कैमूर, पूर्वी चंपारण, रोहतास, समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज, आरा, नवादा, वैशाली, जहानाबाद, अररिया सीतामढ़ी और सुपौल में कुल 24 सहकार भवन के निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिसमें से 07 (सात) जिला मुख्यालयों यथा मधुबनी, किशनगंज, कटिहार, कैमूर (भभुआ), जमुई, गोपालगंज एवं अररिया में सहकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। | |
| 11. | **पैक्स कम्प्युटरीकरण** | | |
| | भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के पैक्सों को चरणबद्ध तरीके से तीन वित्तीय वर्षों में पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 8463 पैक्सों के कम्प्युटरीकरण के लिये खर्च का वहन 60 प्रतिशत भारत सरकार 35 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 5 प्रतिशत संबंधित समिति द्वारा वहन किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पैक्स कम्प्युटरीकरण योजना की प्रतीक्षारत अवधि में राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से पैक्सों के कम्प्युटरीकरण का कार्य क्रियान्वित है। इसके लिए NIC द्वारा सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है। इस सॉफ्टवेयर में राज्य के पैक्सों के अभिलेख/आंकड़ों का इन्ट्री/अपलोड किया जा रहा है। अभी तक राज्य के 6310 अंकेक्षित पैक्सों के आंकड़ों को इस सॉफ्टवेयर में इन्ट्री किया जा चुका है। पैक्सों के डिजिटाईजेशन हेतु वित्तीय वर्ष–2019–20 में राज्य के 4580 पैक्सों को प्रति पैक्स 10,000 (दस हजार) रुपये की दर से राशि उपलब्ध करायी गयी है। | | |

# 2. योजनायें एवं उपलब्धियाँ

## I. कृषि रोड मैप (2022–2027)

राज्य सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का आदर्शतम उपयोग करते हुए कृषि रोड़ मैप अन्तर्गत सहकारिता के माध्यम से कृषक सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी व्यवस्था एवं संरचना को एक सक्षम सेवा प्रदायी की सशक्त भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत् कृषि रोड़ मैप 2017–22 का मुल्यांकन एवं इसके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के आलोक में अगले 05 वर्ष (2022–27) के लिए योजना तैयार की जा रही है।

### कृषि रोड मैप (2017–22) की उपलब्धि :–

कृषि रोड़ मैप (2017–22) में सहकारिता विभाग के लिए निर्धारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा से स्पष्ट होता है, सहकारी क्षेत्र की कुछ योजनाओं को छोड़कर अधिकांश कार्यक्रमों की उपलब्धि अनेक बाधाओं के बाद भी उत्साहवर्धक रही है, जो निम्नांकित आंकड़ों से स्पष्ट होता है :–

| क्र॰ स॰ | कार्यक्रम | वर्ष 2017–22 का लक्ष्य | जनवरी 2022 तक उपलब्धि | उपलब्धि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1) कृषि साख में अभिवृद्धि<br>(क) किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या)<br>(ख) साख प्रवाह (करोड़ में) | 250000<br>15000 | 426000<br>1063.94 | 170.4 %<br>7.092 % |
| 2 | पैक्स / व्यापार मंडलों में भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि (लाख मे॰टन में) | 10.00 | 3.1835 | 31.835 % |
| 3 | चावल मिल–सह– गैसीफायर संयंत्र की स्थापना (संख्या) | 260 | 159 | 61.15 % |
| 4 | सब्जी प्रसंस्करण / विपणन<br>प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति लि॰ का गठन<br>(क) आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य (भूमि, निर्माण कार्य, प्लांट एवं मशीनरी)<br>(ख) संघस्तरीय प्रसंस्करण आधारभूत ढांचा का निर्माण<br>(ग) मध्यम क्षमता के शीत गृहों का निर्माण | 300<br><br>05<br>100 | 56 (7 पूर्ण एवं शेष निर्माणाधीन)<br><br>तीन वर्षों के क्रियानवयन अनुभव के आधार पर (ख एवं ग के संदर्भ में) योजनाओं में कतिपय परिवर्तन प्रस्तावित एवं प्रक्रियाधीन है। | 18.66 % |
| 5 | व्यवसाय विकास (समिति की संख्या)<br>(क) कृषक आदानों की आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति<br>(ख) कस्टम हायरिंग केन्द्र (हरित कृषि संयंत्र योजना)<br>(ग) अधिप्राप्ति (समिति) | 2289<br>500<br>8000 | 3170<br>1962<br>7420 | 138.48 %<br>392.4 %<br>92.75 % |
| 6 | प्रशिक्षण / कार्यशाला / संगोष्ठी के माध्यम से क्षमता निर्माण<br>(क) सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पूसा का आधुनिकीकरण एवं निर्माण<br>(ख) पैक्स / व्यापार मंडल के कार्यकारिणी सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता–निर्माण<br>(ग) पैक्स प्रबंधकों / सदस्यों का वर्षिक प्रशिक्षण<br>(घ) विभागीय अधिकारी / कर्मी का प्रशिक्षण | –<br>100000<br>80000<br>2000 | –<br>–<br>–<br>1457 (459 मुख्यालय स्तर से + 998 क्षेत्रीय स्तर पर) | –<br>–<br>–<br>72.85 % |
| 7 | समेकित सहकारी विकास परियोजना (जिला का आच्छादन) | 18 | 11 | 61 % |
| 8 | बिहार राज्य फसल सहायता योजना | – | लक्ष्य अनिर्धारित। खरीफ 2018 मौसम से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना का सफलता पूर्वक किया जा रहा है। | फसल सहायता योजना में खरीफ मौसम अंतर्गत 2018–19 से 2020–21 तक कुल 13,20,872 किसानों को मो॰ 884.62 करोड़ रू॰ तथा रबी मौसम अंतर्गत 2018–19 से 2020–21 तक कुल 7,52,090 किसानों को मो॰ 329.1 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। |

## कृषि रोड़ मैप को लागू करने के क्रम में उत्पन्न बाधायें एवं अनुभव :

### 1. सहकारी अधिसंरचना का सृजन :

- भूमि की अनुपलब्धता के कारण पैक्स / व्यापार मंडलों से अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना।
- पिछले दो वर्षों में कोविड महामारी एवं लॉक–डाउन के कारण निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाना।
- चावल मिल की स्थापना के संबंध में नीतिगत परिवर्तन का निर्णय विचाराधीन।

### 2. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना :

- नवोन्मेषी योजना होने के कारण पूर्व के संस्थागत अनुभव का अभाव।
- प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण निर्माण कार्य देर से प्रारम्भ होना।
- पिछले दो वर्षों में कोविड महामारी एवं लॉक–डाउन के कारण निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाना।

### 3. प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी के माध्यम से क्षमता निर्माण :

- कोविड महामारी एवं लॉक–डाउन के कारण संस्थागत एवं विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाना।

## कृषि रोडमैप के क्रियान्वयन का अनुभव :

तृतीय कृषि रोडमैप 2017–22 के क्रियान्वयन के दौरान सहकारिता विभाग के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक पहल किए गए। उदाहरण के तौर पर खरीफ 2018 से राज्य के किसानों को फसल उत्पादन में ह्रास के स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू किया गया तथा पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना को क्रियान्वित किया गया। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विभाग के द्वारा Interactive Voice Response System-SUGAM (IVRS) की स्थापना की गई। खाद्यानों की अधिप्राप्ति में विभाग की उपलब्धियाँ प्रशंसनीय रही हैं। कृषि रोड मैप के लक्ष्यों को प्राप्त करने में संबंधित विभागों खासकर कृषि एवं उद्योग विभाग से अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुआ है तथा सहकारिता विभाग के द्वारा भी सहकारी समितियों के निबंधन के माध्यम से कृषि विभाग को आवश्यक सहयोग दिया गया है। उम्मीद की जाती है कि Post-Pandamic Phase में विभाग की उपलब्धि और अच्छी रहेगी।

## नए कृषि रोडमैप की प्राथमिकताऐं– विजन , रणनिति एवं कार्यक्रमों का 05 वर्षो के लिए वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :

**विजन :**आगामी कृषि रोडमैप के संदर्भ में सहकारिता विभाग सहकारी समितियों खासकर पैक्सों एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से फसल चक्र की समग्र आवश्यकताओं को पुरा करते हुए कृषि एवं ग्रामीण विकास की अन्तर्निहित सम्भावनाओं को इस प्रकार विकसित करने का प्रयास करेगा कि पैक्स एवं व्यापार मंडल ग्रामीण विकास केन्द्र के रूप में उभर सकें।

**रणनीति :** आगामी कृषि रोडमैप के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहकारिता विभाग की रणनीति निम्नवत् है :

1. **संबंधित विभागों से समन्वय–** कृषि रोडमैप के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहकारिता विभाग संबंधित विभागो यथा– कृषि, वित्त, उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पशुपालन एवं मत्स्य, पार्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन / लघु जल संसाधन, उर्जा, राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्यान निदेशालय आदि से आवश्यक समन्वय स्थापित करेगा।

2. **योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था–** राज्य योजना से प्राप्त राशि के अतिरिक्त वैकल्पिक संसाधनों के लिए नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सहकारी बैंकों आदि से प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर पर राशि प्राप्त कर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. सहकारी क्षेत्र में भौतिक अधिसंरचना यथा गोदाम निर्माण, चावल मिल, सब्जी प्रसंस्करण आदि की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता के लिए दान एवं लीज के अतिरिक्त सरकारी भूमि को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

4. विभाग के द्वारा प्रस्तावित नए कार्यक्रमों यथा शहद प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के लिए क्षेत्र विशेषज्ञों के द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर व्यापक स्तर पर क्षमता निर्माण किया जाएगा, जो किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक शर्त्त है।

5. चूंकि सहकारी संस्थाओं में व्यवसायिक कार्य प्रजातांत्रिक तरीके से संचालित की जाती है, अतः विभाग की रणनीति होगी कि वृहत स्तर पर संस्थागत एवं विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण के माध्यम से विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों, सहकारी समितियों के निदेशकों एवं प्रबंधक एवं नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि उनकी कार्य क्षमता तथा प्रतिबद्धता में अपेक्षित वृद्धि हो सके।

6. विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के दौरान लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धियों के ससमय मूल्यांकन के लिए Mid-term Evaluation व्यवस्था स्थापित की जाएगी, जिसमें विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी।

7. कृषि रोडमैप के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सूचना प्रावैद्यिकी एवं अन्य तकनीकी प्लेटफार्म का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

## कृषि रोडमैप वर्ष 2022–27 का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य:

### 1. भौतिक लक्ष्य:

| क्र॰ सं॰ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | कुल |
| 1 | 1) कृषि साख में अभिवृद्धि<br>(क) किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या)<br>(ख) साख प्रवाह (करोड़ में) | 80000<br>250 | 90000<br>270 | 100000<br>300 | 110000<br>330 | 120000<br>350 | 5,00,000<br>1500 |
| 2 | पैक्स/व्यापार मण्डल में भण्डारण क्षमता में अभिवृद्धि (लाख मे॰टन) | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 10.00 |
| 3 | पूर्व में स्थापित 2 मे॰टन क्षमता के अरवा चावल मिल का उसना चावल मिल में परिवर्तन | 50 | 50 | 30 | 20 | 3 | 153 |
| 4 | सब्जी प्रसंस्करण/विपणन<br>प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति लि॰ का गठन<br>(क) आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य<br>(ख) संघ अन्तर्गत (जिला स्तरीय) आधारभूत संरचना का निर्माण (शीतगृह सहित) | 50<br>1 | 50<br>1 | 50<br>1 | 50<br>1 | 50<br>– | 250<br>4 |
| 5 | सहकारी समितियों द्वारा व्यवसाय विकास<br>(क) कृषि आदानों की आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति<br>(ख) अधिप्राप्ति (पैक्स एवं व्यापार मंडल को अधिप्राप्ति कार्य में शामिल करने का लक्ष्य) | 500<br>7500 | 500<br>7600 | 500<br>7700 | 500<br>7800 | 500<br>8000 | 2,500<br>– |
| 6 | प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी के माध्यम से क्षमता वर्धन<br>(क) सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पूसा का आधुनिकीकरण, निर्माण एवं प्रशिक्षण।<br>(ख) पैक्स/व्यापारमंडल के कार्यकारिणी सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (संख्या)<br>(ग) पैक्स प्रबंधकों/सदस्यों का वार्षिक प्रशिक्षण (संख्या)<br>(घ) विभाग के अधिकारी/कर्मी का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (संख्या) | नये भवन का निर्माण एवं पूराने भवन का जिर्णोद्धार।<br>600<br>100<br>300 | 600<br>100<br>300 | 600<br>100<br>300 | 600<br>100<br>300 | 600<br>100<br>300 | 3,000<br>500<br>1,500 |
| 7 | समेकित सहकारी विकास परियोजना | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 12 |
| 8 | पैक्स कम्प्यूटराइजेशन | 1746 | 2686 | 4031 | – | – | 8463 |
| 9 | बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत किसानों का निबंधन/आच्छादन (लक्ष्य–लाख में) | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 275 |
| 10 | शहद उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन योजना | **राज्य में शहद उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए 20 जिलों में 109 शहद उत्पादन समितियों का निबंधन कराया गया है, तथा विस्तृत प्ररियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।** | | | | | |
| 11 | सहकारी बैंकों का Recapitalization, आधुनिकीकरण एवं तकनीकी उन्नयन | **चार जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का Recapitalization, (औरंगाबाद , कटिहार, मुंगेर-जमुई एवं भागलपुर)** | | | | | |

## वित्तीय लक्ष्य :

लक्ष्य (राशि लाख में)

कार्यक्रम

| क्र० सं० | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 |
| 1 | 1) कृषि साख में अभिवृद्धि<br>(क) किसान क्रेडिट कार्ड (राशि )<br>(ख) वार्षिक साख प्रवाह ('क' की राशि सहित) | 25000<br>420000 | 27000<br>440000 | 30000<br>460000 | 33000<br>480000 | 35000<br>500000 |
| 2 | पैक्स / व्यापार मण्डल में भण्डारण क्षमता में अभिवृद्धि (लाख मे॰टन) | 17500 | 17500 | 14000 | 10500 | 10500 |
| 3 | पूर्व में स्थापित 2 मे॰टन क्षमता के अरवा चावल मिल का उसना चावल मिल में परिवर्तन (अनुमानित लागत) | 8028 | 8028 | 4816.8 | 3211.2 | 481.68 |
| 4 | सब्जी प्रसंस्करण / विपणन<br>प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति लि॰ का गठन<br>(क) आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य<br>(ख) संघ अन्तर्गत (जिला स्तरीय) आधारभूत संरचना का निर्माण (शीतगृह सहित) | 2725<br>500 | 2725<br>500 | 2725<br>500 | 2725<br>500 | 2725<br>— |
| 5 | प्रशिक्षण / कार्यशाला / संगोष्ठी के माध्यम से क्षमता वर्धन<br>(क) सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पूसा का आधुनिकीकरण, निर्माण एवं प्रशिक्षण।<br>(ख) पैक्स / व्यापारमंडल के कार्यकारिणी सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण<br>(ग) पैक्स प्रबंधकों / सदस्यों का वार्षिक प्रशिक्षण<br>(घ) विभाग के अधिकारी / कर्मी का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण | 50<br>50<br>10<br>25 | 50<br>50<br>10<br>25 | —<br>50<br>10<br>25 | —<br>50<br>10<br>25 | —<br>50<br>10<br>25 |
| 6 | समेकित सहकारी विकास परियोजना | 10626 | 11499 | 13741 | 36407 | — |
| 7 | पैक्स कम्प्यूटराइजेशन | 3052 | 4695 | 7046 | — | — |
| 8 | सहकारी बैंकों का Recapitalization, आधुनिकीकरण एवं तकनीकी उन्नयन | 14300 | — | — | — | — |
| 9 | शहद उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन योजना | 3374.7 | 11257.08 | 4192.2 | 2108.46 | 2580.66 |
| | **कुल** | 480240.7 | 496339.08 | 507106 | 535536.66 | 516372.34 |

## 4. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- जिला इकाईयों के बीच लक्ष्यों का इस प्रकार वितरण किया जायेगा, ताकि भौतिक लक्ष्य को ससमय प्राप्त किया जा सके।
- जिलों में योजनाओं के अनुश्रवण जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति द्वारा की जायेगी जिसके सदस्य जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक केंद्रीय सहकारी बैंक एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी भी होंगे।
- मुख्यालय स्तर पर एक अनुश्रवण कोषांग का गठित कमिटि द्वारा किया जायेगा जो जिलों में योजनाओं के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यान्वयन के क्रम में सुधारात्मक निर्णय ले सकेगी।
- सभी योजनाओं के लिए मध्यावधि मूल्यांकन की व्यवस्था की जायेगी। मूल्यांकनकर्त्ता कार्यक्रमों की प्रगति के मूल्यांकन के साथ–साथ सुधारात्मक उपायों के लिए आवश्यक परामर्श भी देंगे।

# II. अधिप्राप्ति

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कराने हेतु अधिप्राप्ति एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य में धान के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कृषकों को आपात बिक्री (Distress Sale) से बचाने में अधिप्राप्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है।

- इस वर्ष कृषि विभाग में निबंधित किसानों से अधिप्राप्ति कार्य किया जा रहा है।
- वर्ष 2021—22 के लिए 45.00 लाख मे॰टन धान क्रय का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित है।
- भारत सरकार ने इस वर्ष 2021—22 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान के लिए 1940 / — रुपये एवं ग्रेड । धान के लिए 1960 / — रुपये प्रति क्विंटल अधिसूचित किया गया है।
- इस वर्ष भी किसानों को गनी बैग मद में रू० 25 / — प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ भुगतान राज्य सरकार के मद से किया जा रहा है, जिसका लाभ किसानों को लगातार प्राप्त हो रहा है।
- रैयत कृषकों के लिए धान बिक्री की सीमा को प्रति कृषक 250 क्विंटल एवं गैर रैयत कृषकों के लिए प्रति कृषक 100 क्विंटल किया गया है ।
- धान अधिप्राप्ति में Procurement Portability System लागू किया गया है, जिसके तहत राज्य का कोई भी किसान किसी चयनित पैक्स / व्यापार मंडलों में अपना धान की बिक्री कर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त सकते है।
- अधिप्राप्ति कार्य में पूर्ण पारदर्शिता लाने हेतु Online Procurement Management System के अन्तर्गत Mobile Application के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य का संचालन, पर्यवेक्षण किया जा रहा है। साथ ही इसे (National Food Procurement Portal) NFPP पर भी अद्यतन किया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में इस वर्ष किसानों का भुगतान PFMS प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन 48 घण्टे के भीतर किये जाने का प्रावधान है।
- इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति कार्य हेतु 5000 करोड़ रुपये ऋण हेतु राजकीय गारंटी दी गई है।
- किसानों को अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी देने एवं उनके शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु सुगम Call Centre (IVRS) की स्थापना की गई है, जो 24x7 कार्य कर रही है।
- पारदर्शी व्यवस्था अन्तर्गत किसानों से क्रय किये गये धान एवं उसके भुगतान सहित सभी प्रकार के आंकड़े Public Domain के माध्यम से सर्वसुलभ किये गये है।

## वर्षवार धान अधिप्राप्ति–लक्ष्य एवं उपलब्धि

| वर्ष | धान (मात्रा लाख मे॰टन) | |
|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 2017–18 | 30.00 (सांकेतिक) | 11.84 |
| 2018–19 | 30.00 (सांकेतिक) | 14.16 |
| 2019–20 | 30.00 (सांकेतिक) | 20.01 |
| 2020–21 | 45.00 (सांकेतिक) | 35.58 |
| 2021–22 | 45.00 (सांकेतिक) | 24.46 (दिनांक 24.01.2022 तक) |

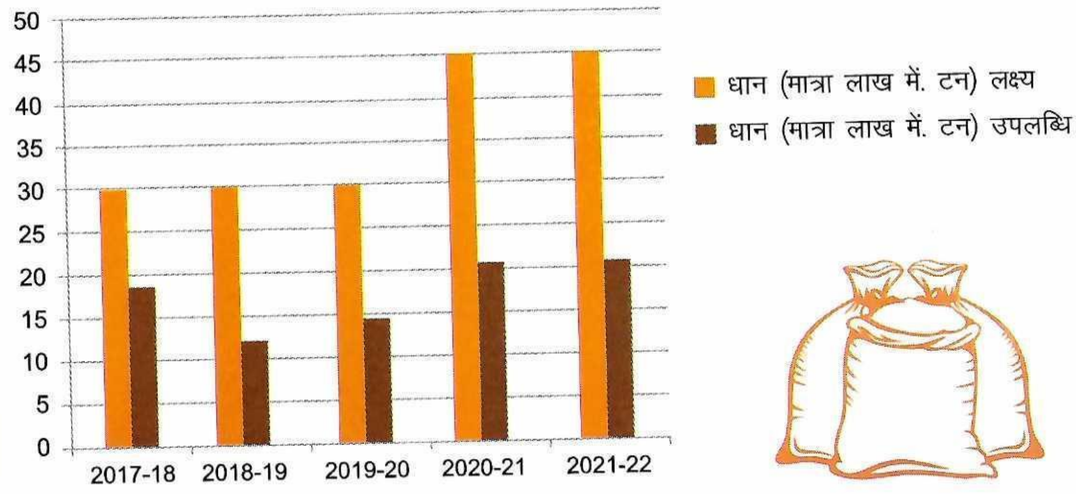

## III. बिहार राज्य फसल सहायता योजना

- राज्य सरकार द्वारा खरीफ–2018 मौसम से "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" लागू की गई है।
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन में ह्रास की परिस्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें अगली फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाए रखना तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए राज्य में कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करना है।
- इस योजना का लाभ अन्य योजनाओं यथा–कृषि इनपुट अनुदान योजना एवं डीजल अनुदान योजना के लाभार्थियों को भी प्राप्त होगा।
- योजना के तहत् आवेदन करने हेतु किसानों को किसी प्रकार के शुल्क/प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है।

### योजना की प्रमुख विशेषताएँ :

- **आच्छादित किसान :**

(i) रैयत किसान – ऐसे सभी किसान, जो अपनी रैयती भूमि पर खेती स्वयं करते हों।;;

(ii) गैर–रैयत किसान – ऐसे सभी किसान, जो दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करते हों।

(iii) आंशिक रूप से रैयत एवं गैर–रैयत दोनों

### इन्डेमनिटी स्तर एवं थ्रेसहोल्ड उपज

– 70 प्रतिशत इन्डेमनिटी स्तर का प्रावधान।

– थ्रेशहोल्ड उपज पिछले 07 वर्षों की औसत उपज एवं इन्डेमनिटी स्तर का गुणनफल।

- **आच्छादित/सहायता राशि की अधिसीमा**

(i) थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% तक ह्रास की स्थिति में सत्यापन के उपरान्त 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 15,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है।

(ii) थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% से ज्यादा ह्रास की स्थिति में सत्यापन के उपरान्त 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 20,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है।

- **सहायता राशि का भुगतान**

इस योजना के तहत् अनुमान्य सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी किसानों को DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाता है।

## बिहार राज्य फसल सहायता योजना की प्रगति

| मौसम | निबंधित किसानों की संख्या | | | | लाभार्थी किसानों की संख्या एवं राशि | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल | रैयत | गैर–रैयत | रैयत एवं गैर–रैयत | संख्या | राशि (करोड़ में) | |
| खरीफ 2018 | 1150527 | 515314 | 635213 | –– | 453005 | 368.64 | भुगतान की प्रक्रिया समाप्त। |
| रबी 2018–19 | 1754350 | 865839 | 888511 | –– | 180667 | 74.40 | भुगतान की प्रक्रिया समाप्त। |
| खरीफ 2019 | 2494495 | 1120162 | 1370287 | 4046 | 400413 | 288.27 | भुगतान प्रक्रियाधीन |
| रबी 2019–20 | 1955512 | 831812 | 1095328 | 28372 | 393519 | 185.14 | भुगतान प्रक्रियाधीन |
| खरीफ 2020 | 3929108 | 1624204 | 2244960 | 59944 | 467450 | 227.69 | भुगतान प्रक्रियाधीन |
| रबी 2020–21 | 1333100 | 406554 | 896979 | 29567 | 177904 | 69.57 | भुगतान प्रक्रियाधीन |
| खरीफ 2021 | 1566432 | 356771 | 1187125 | 22536 | निबंधन की प्रक्रिया दिनांक– 31.07.2021 को समाप्त। | | |
| रबी 2021–22 | 815862 | 140970 | 666634 | 8258 | निबंधन गतिमान। | | |

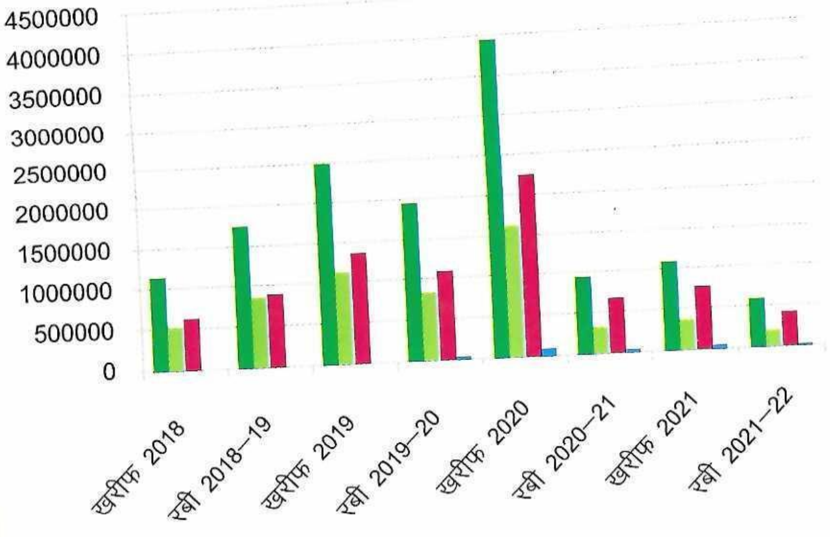
कुल
रैयत
गैर रैयत
रैयत एवं गैर रैयत
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
खरीफ 2018
रबी 2018–19
खरीफ 2019
रबी 2019–20
खरीफ 2020
रबी 2020–21
खरीफ 2021
रबी 2021–22

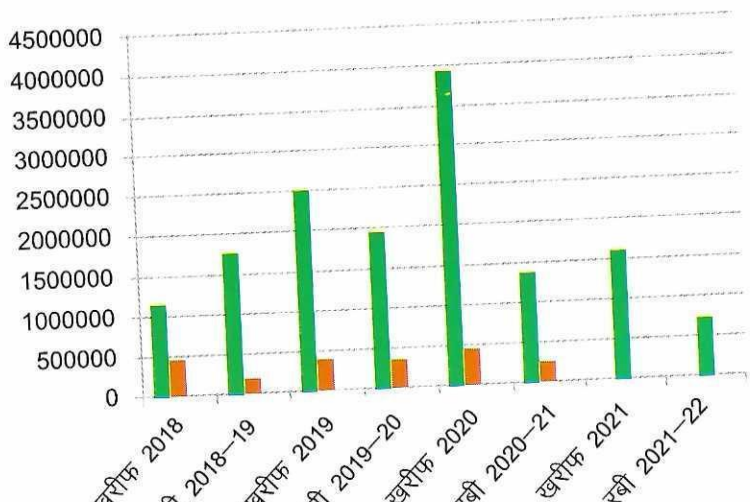
भुगतान की स्थिति निबंधित किसान
भुगतान की स्थिति लाभार्थी किसान
भुगतान की स्थिति राशि (करोड़ में)
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
खरीफ 2018
रबी 2018–19
खरीफ 2019
रबी 2019–20
खरीफ 2020
रबी 2020–21
खरीफ 2021
रबी 2021–22

₹

# IV. सहकारी अधिसंरचना

## (क) भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि

राज्य में भंडारण क्षमता की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा कृषि रोड मैप (2012–17) में इसे प्राथमिकता देते हुए प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया तथा इसके तहत वर्ष 2017 तक, पैक्स व्यापार मंडलों में विभिन्न क्षमता के गोदाम का निर्माण कराते हुए सहकारी क्षेत्र में भंडारण क्षमता में कुल 10.75 लाख मे॰टन अभिवृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध कृषि रोड मैप 2012–17 अंतर्गत विगत 05 वर्ष में राज्य योजना के माध्यम से कुल 2996 पैक्सों / व्यापार मंडलों में विभिन्न क्षमता का गोदाम निर्माण कराते हुए राज्य के सहकारी क्षेत्र के भंडारण क्षमता में 6.859 लाख मे॰टन की अभिवृद्धि करायी गई।

कृषि रोड मैप (2017–22) में पैक्स / व्यापार मंडल में विभिन्न क्षमता के गोदाम निर्माण कराते हुए राज्य के सहकारी क्षेत्र में 10 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि राज्य के सभी 8463 पैक्स एवं 521 व्यापार मंडल का अपना गोदाम उपलब्ध हो सके।

उपरोक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में 128 करोड़ रूपये के लागत से 914 पैक्स / व्यापार मंडलों में कम से कम 200 मे॰टन क्षमता के गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा 277 पैक्स / व्यापार मंडलों को 38.78 करोड रूपया राशि उपलब्ध कराते हुए 196 गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा चुका है, जिससे 0.501 लाख मे॰टन क्षमता में अभिवृद्धि हुई है।

वर्ष 2018–19 में 175 करोड़ रूपये के लागत से सहकारी क्षेत्र में पैक्स / व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण कराते हुए 2.50 लाख मे॰टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध 389 पैक्स / व्यापार मंडलों को 83.13 करोड़ रूपये की राशि जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2018–19 में (बैकलॉग सहित) 332 पैक्स / व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा चुका है, जिससे 0.704 लाख मे॰टन क्षमता में अभिवृद्धि हुई है। वर्ष 2019–20 में 44.97 करोड़ रूपये के लागत से 98 पैक्स / व्यापार मंडल में 200 / 500 / 1000 मे॰टन क्षमता के गोदाम निर्माण का लक्ष्य था। इन सभी पैक्स / व्यापार मंडल को गोदाम निर्माण हेतु कुल लागत का 40% राशि का उपलब्ध करा दिया गया है जिसमें से 85 पैक्स / व्यापार मंडल से व्यय राशि की उपयोगिता एवं गोदाम निर्माण का अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात शेष 60% राशि उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 2020–21 में (बैकलॉग सहित) 128 पैक्सों / व्यापारमण्डल में गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा चुका है, जिससे 0.375 लाख मे॰टन क्षमता की अभिवृद्धि हुई है। वर्ष 2021–22 में अब तक (बैकलॉग सहित) 247 पैक्सों / व्यापारमण्डल में गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा चुका है, जिससे 0.785 लाख मे॰टन क्षमता की अभिवृद्धि हुई है। (वर्ष 2021–22 में 65 गोदाम के निर्माण हेतु जिलों को 28,64,02,500 रूपया तथा 73 गोदाम के निर्माण हेतु जिलों को 33,53,91,000 रूपया उपलब्ध कराया गया है।)

वर्त्तमान में सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6622 पैक्स / व्यापार मंडलों में 1000 / 500 / 200 मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माण कराया जा चुका है, जिसकी कुल भंडारण क्षमता 13.1235 लाख मे॰टन है, जबकि 479 गोदाम निर्माणाधीन है जिससे 2.155 लाख मे॰टन क्षमता का निर्माण हो सकेगा।

## (ख) धान प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

राज्य में पैक्स / व्यापार मंडल द्वारा अधिप्राप्ति किये जाने वाले धान के प्रसंस्करण हेतु कृषि रोड मैप (2012–17) में कुल 350 चावल मिल गैसीफायर संयंत्र के साथ RKVY योजना के माध्यम से स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित था,

जिसके विरूद्ध 345 चावल मिल–सह–गैसीफायर संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया था, जिसमें वर्ष 2016–17 में निर्मित 62 चावल मिल (बैकलॉग के साथ) भी सन्निहित था।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2017–18 में 35 एवं 2018–19 में 42 एवं 2019–20 में अबतक (बैकलॉग सहित) 50 पैक्स / व्यापार मंडलों में चावल मिल का निर्माण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरा कराते हुए अबतक 485 पैक्स / व्यापार मंडलों में चावल मिल.सह.गैसीफायर की स्थापना की जा चुकी है, एवं 53 (बैकलॉग सहित) चावल मिल निर्माणाधीन / लम्बित है।

कृषि रोड मैप (2017–22) में कुल 260 पैक्स / व्यापार मंडलों में 02 मे॰टन क्षमता के विद्युत आधारित चावल मिल ड्रायर के साथ स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध वर्ष 2017–18 में 80 चावल मिल के निर्माण की स्वीकृति राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत दी गई है। साथ ही, 13 चावल मिल जो वर्ष 2016–17 में निर्मित कराया जाना था, किन्तु कतिपय कारण से इसका निर्माण नहीं हो पाया था, उसका भी वर्ष 2017–18 में पुनर्वैधिकरण किया गया है। फलतः वर्ष 2017–18 में 93 चावल मिल की स्थापना हेतु 77.45 लाख रूपये प्रति इकाई की दर से 69.69 करोड़ रूपये राशि जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2017–18 में 35 (बैकलॉग का) चावल मिल.सह.गैसीफायर की स्थापना की चुकी है एवं वर्ष 2018–19 में (बैकलॉग सहित) 42 एवं वर्ष 2019–20 में (बैकलॉग सहित) 51 पैक्सों / व्यापार मंडलों में चावल मिल की स्थापना कार्य पूर्ण हो चुका है एवं वर्ष 2020–21 में 26 (बैकलॉग सहित) समितियों में चावल मिल की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2021–22 में 05 (बैकलॉग सहित) समितियों में चावल मिल की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 45 समितियों (बैकलॉग सहित) में स्थापना कार्य निर्माणाधीन है।

## (ग) ड्रायर की स्थापना

पैक्स / व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान के नमी प्रबंधन हेतु राज्य में पूर्व से स्थापित चावल मिल के साथ विभाग द्वारा 12 मे॰टन (प्रति पाली) क्षमता के ड्रायर की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो आगामी 05 वर्ष में चेंमूपेम कुल 441 पूर्व स्थापित / निर्माणाधीन स्वीकृत चावल मिल के साथ लगाये जायेंगे।

इस योजना के तहत् वर्ष 2017–18 में 40 पैक्स / व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु आवश्यक राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई थी, 39 समितियों में ड्रायर स्थापित किया जा चुका है।

वर्ष 2018–19 में 38 पैक्स / व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु कुल 6.84 करोड़ रूपये की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई थी, 38 समितियों में ड्रायर स्थापित किया जा चुका है।

वर्ष 2019–20 में 57 पैक्स / व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु कुल 10.26 करोड़ रूपये की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। 18 समितियों में ड्रायर स्थापित किया जा चुका है।

वर्ष 2021–22 में 33 पैक्स / व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु कुल 05.94 करोड़ रूपये की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है।

## V. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने एवं ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण तथा उचित मूल्य पर सब्जी आपूर्ति किया जाना है।

- योजना के कार्यान्वयन के लिए त्रिस्तरीय सहकारी संरचना की अवधारणा की गई है जिसमें प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादक किसानों को सम्मिलित कर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति, कुछ जिलों के प्रखंड स्तरीय प्राथमिक समितियों को मिलाकर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ तथा राज्य स्तर पर फेडरेशन गठित किया जाना है।

- प्रखंड स्तर पर गठित प्राथमिक समितियों में 10,000 वर्ग फीट भूमि पर स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए सब्जी हाट के साथ–साथ प्रबंधन कार्यालय, मिनी कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग ग्रेडिंग शेड, सब्जी वाहनों के लिए लिफ्टिंग प्लेटफार्म आदि के निर्माण के साथ–साथ आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जानी है।

- सहकारी संघ पूरे प्रसंस्करण एवं विपणन व्यवस्था के केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। उक्त सहकारी संघ प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों से प्राप्त सब्जी का शीत संग्रहण, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन व्यवस्था का कार्य करेगा।

- योजना के प्रथम चरण में इसे 5 (पाँच) जिलों–पटना, नालन्दा, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगुसराय में लागू किया गया है जहाँ अबतक 97 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक समितियाँ निबंधित हो चुकी है तथा इन प्रखंड स्तरीय समितियों को मिलाकर हरित सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि०, पटना का निबंधन हो चुका है। पटना संघ द्वारा 05.03.2019 से कार्य प्रारंभ किया गया है।

- योजना के अगले चरण में पाँच जिलों यथा पश्चिम चम्पारण पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं सीतामढ़ी को सम्मिलित करते हुए तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि० पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) का भी गठन किया गया है। जहाँ अबतक 82 प्रखण्ड स्तरीय सब्जी उत्पादक समितियाँ निबंधित हो चुकी है। तिरहुत संघ द्वारा 27 मार्च 2020 से कार्य प्रारंभ किया गया है।

- पुनः दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिले को शामिल करते हुए मिथिला संघ का मार्च 2021 में गठन किया गया है। साथ ही, पूर्व से गठित पटना संघ में भोजपुर, बक्सर जिले तथा तिरहुत संघ में सारण, सिवान एवं गोपालगंज को शामिल करते हुए आच्छादन का विस्तार भी 2021 में किया गया है। इस प्रकार वर्त्तमान में योजना का आच्छादन राज्य के 20 जिलों में करते हुए 276 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया जा चुका है।

- शीर्ष स्तर पर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि० पटना का गठन किया जा चुका है।

- वर्त्तमान में 19714 से ज्यादा सब्जी उत्पादक किसान प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक समितियों के सदस्य बन चुके हैं। सदस्यता को सुविधाजनक, व्यापक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑनलाईन आवेदन की सुविधा प्रदान कर दी गई है।

- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनान्तर्गत सभी आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को नोडल एजेंसी निर्धारित। 2 PVCS यथा अरेराज एवं तुर्की कटसरी में निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 7 PVCS यथा संग्रामपुर, राजापाकड़, पटेढ़ी बेलसर, बाजपट्टी,

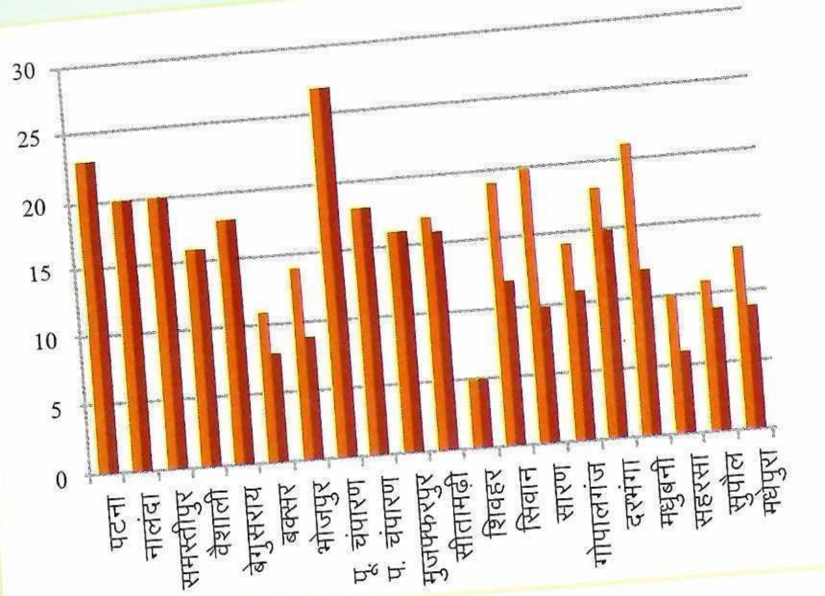

बिक्रम, पालीगंज एवं बिथान का सिविल संरचना निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

- इस योजना का ब्रांड–''तरकारी'' है। संघों द्वारा संस्थागत एवं खुदरा बिक्री के माध्यम से सब्जी बिक्री का कार्य संचालित है।
- पटना संघ, तिरहुत संघ एवं मिथिला संघ द्वारा अबतक (दिनांक–31.01.2022 तक) 24644 मे॰ट॰ की सब्जी व्यवसाय में 50.07 करोड़ रूपये का turn over किया गया।
- राज्य के 04 शहरों यथा पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में ऑनलाईन (tarkaarimart.in) सब्जी विपणन का कार्य किया जा रहा है।
- यह योजना बिहार राज्य के कृषि अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा।

## VI. समेकित सहकारी विकास परियोजना

राज्य में सहकारिता को सबल बनाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से परियोजनाएँ चलायी जा रही है। इस परियोजना के तहत जिलों में चयनित विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों विशेषकर पैक्सों / व्यापार मंडलों में :

- अधिसंरचना निर्माण (गोदाम –सह– कार्यालय)।
- व्यवसाय विकास एवं सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना है।
- मत्स्य पालन, बुनकर, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, कृषि प्रसंस्करण, महिला विकास, पणन आदि का भी विकास करना है।

इस योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से राज्य सरकार को ऋण एवं अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है। निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान का अनुपात करीब 25 प्रतिशत है। यह राशि निगम द्वारा राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति (Re-imbursement) के आधार पर उपलब्ध करायी गयी है। योजना से कार्यान्वयन हेतु स्थापना आदि खर्च के लिए प्रावधानित अनुदान की राशि में निगम एवं राज्य सरकार का अनुपात 50–50 का है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निबंधक, सहयोग समितियाँ के अधीन एक अनुश्रवण कोषांग गठित है। जिला स्तर पर जिला कार्यान्वयन दल का गठन किया जाता है जिसके प्रमुख महाप्रबंधक होते हैं तथा महाप्रबंधक के अधीन प्रबंधक साख, विकास पदाधिकारी एवं अन्य कार्मिक पदस्थापित होते हैं। इस परियोजना की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने के निमित्त राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रधान सचिव / सचिव, सहकारिता विभाग एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष उस जिला, जहाँ यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, के जिला पदाधिकारी होते हैं। परियोजना के सफल संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिक चयन समिति भी गठित है।

इस परियोजना के तहत् मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत समितियों के प्रबंधकों, निदेशक मंडल के सदस्यों एवं आम सदस्यों को प्रबंधकीय विकास, वित्तीय प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों / कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों एवं व्यवहारिक पक्षों का ज्ञान हो जिसका प्रतिफल समितियों के सफल संचालन एवं होने वाले लाभों के रूप में प्राप्त हो।

# समेकित सहकारी विकास परियोजना, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना पूर्व में कार्यान्वित जिलों का प्रतिवेदन

(राशि लाख रु॰ में)

## 1. परियोजना लागत एवं व्यय

| क्रम | जिला का नाम | ऋण | हिस्सा पूंजी | अनुदान | कुल योग | कुल व्यय 31.12 .2021 तक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोपालगंज | 295.620 | 631.620 | 292.000 | 1,219.240 | 1,153.910 |
| 2 | मधुबनी | 287.650 | 704.470 | 212.800 | 1,204.920 | 1,179.070 |
| 3 | गया | 313.340 | 607.680 | 215.390 | 1,136.410 | 1,059.180 |
| 4 | सीतामढ़ी | 299.150 | 517.700 | 218.630 | 1,035.480 | 1,019.670 |
| 5 | आरा | 304.680 | 645.950 | 162.600 | 1,113.230 | 1,080.760 |
| 6 | छपरा | 280.600 | 673.500 | 205.620 | 1,159.720 | 1,068.980 |
| 7 | सीवान | 296.570 | 683.080 | 164.570 | 1,144.220 | 1,090.670 |
| 8 | कैमूर | 750.720 | 40.770 | 337.110 | 1,128.600 | 1,084.550 |
| 9 | खगड़िया | 1,055.250 | 68.490 | 468.110 | 1,591.850 | 1,183.550 |
| 10 | शिवहर | 698.800 | 131.280 | 355.270 | 1,185.350 | 984.000 |
| 11 | वैशाली | 2,664.690 | 334.125 | 1,257.935 | 4,256.750 | 3,503,700 |
| 12 | नालंदा | 2,070.512 | 293.950 | 956.758 | 3,321.220 | 2,796.770 |
| 13 | जहानाबाद | 605.07500 | 605.07500 | 242.080 | 1,452.230 | 1,271.110 |
| 14 | अररिया | 1,572.55000 | 1,572.55000 | 402.250 | 3,547.350 | 2,938.112 |
| | कुल योग : | **11,495.207** | **7,510.240** | **5,491.123** | **24,496.570** | **21,414.032** |

## 2. गोदाम निर्माण

| क्रम | जिला का नाम | पैक्स गोदाम निर्माण | | व्यापार मंडल गोदाम निर्माण | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल लक्ष्य | उपलब्धि (31.12.2021 तक) | कुल लक्ष्य | उपलब्धि (31.12.2021 तक) |
| 1 | गोपालगंज | 130 | 130 | 9 | 9 |
| 2 | मधुबनी | 110 | 110 | 12 | 12 |
| 3 | गया | 118 | 114 | 12 | 9 |
| 4 | सीतामढ़ी | 100 | 91 | 12 | 10 |
| 5 | आरा | 105 | 104 | 16 | 14 |
| 6 | छपरा | 104 | 99 | 14 | 10 |
| 7 | सीवान | 100 | 98 | 15 | 10 |
| 8 | कैमूर | 74 | 74 | 0 | 0 |
| 9 | खगड़िया | 81 | 71 | 3 | 0 |
| 10 | शिवहर | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 11 | वैशाली | 172 | 168 | 7 | 7 |
| 12 | नालंदा | 123 | 123 | 6 | 6 |
| 13 | जहानाबाद | 39 | 39 | 4 | 3 |
| 14 | अररिया | 124 | 124 | 2 | 2 |
| **कुल योग :** | | 1426 | 1391 | 112 | 92 |

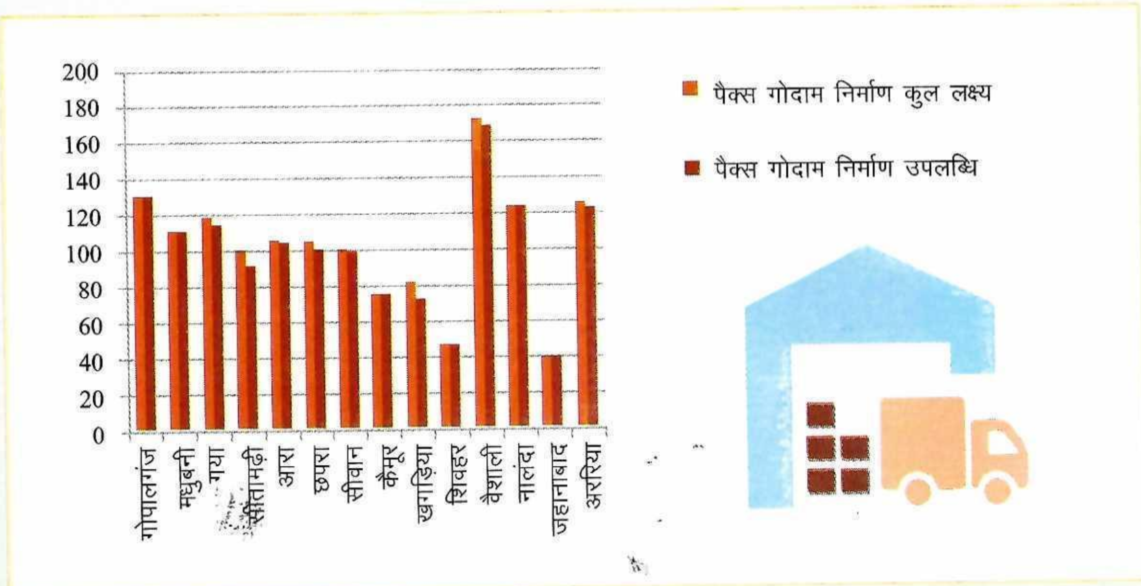

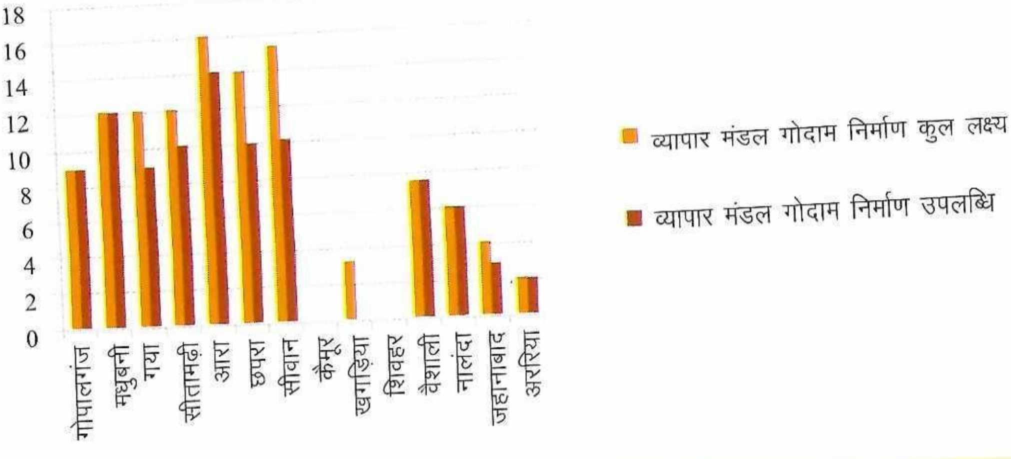


(राशि लाख रु॰ में)

## 3. व्यावसाय विकास

| क्रम | व्यवसाय का प्रकार | वर्ष 2020–21 (मार्च 21 तक) | वर्ष 2021–22 (दिसम्बर 21 तक) |
|---|---|---|---|
| 1 | कृषि (खाद एवं बीज) | 2,196.56 | 210.87 |
| 2 | अधिप्राप्ति | 1,391.02 | 270.38 |
| 4 | उपभोक्ता/पी॰डी॰एस॰ | 663.53 | 993.55 |
| 5 | जमा वृद्धि | 139.40 | 1,246.32 |
| 6 | उपभोक्ता ऋण | 93.50 | - |
| | **कुल योग :** | **4,484.01** | **2,721.12** |

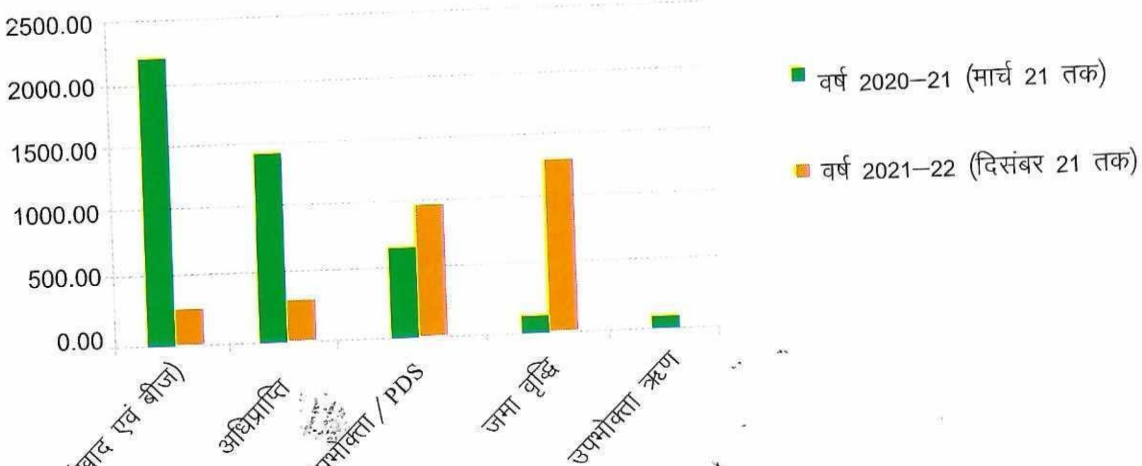

## 4. प्रशिक्षण

| क्रम | प्रशिक्षण | परियोजना प्रारंभ से समापन तक |
|---|---|---|
| 1 | प्रबंधक | 1686 |
| 2 | अध्यक्ष | 2062 |
| 3 | कार्यकारिणी सदस्य | 17826 |
| 4 | सामान्य सदस्य | 131179 |
| 5 | अन्य | 1300 |
| | कुल योग : | 154053 |

# समेकित सहकारी विकास परियोजना, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना वर्त्तमान में कार्यान्वित जिलों का प्रतिवेदन

(राशि लाख रु॰ में)

## 1. परियोजना लागत एवं व्यय

| क्रम | जिला का नाम | कुल लागत राशि | | | | कुल प्राप्त राशि | कुल व्यय 31.03.2021 तक | कुल व्यय 2021–22 (दिसम्बर 21 तक) | कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ऋण/चक्रीय पूंजी | हिस्सा पूंजी/एल॰डी॰/यू॰ डी॰ के अतिरिक्त | अनुदान | कुल योग | | | | |
| 1 | मोतीहारी | 4,157.35000 | 2,316.92000 | 2,377.46000 | 8,851.73000 | 9,170.94000 | 5,125.24000 | 573.05220 | 5,698.29220 |
| 2 | औरंगाबाद | 5,422.02000 | 2,857.26000 | 3,029.26000 | 11,308.54000 | 6,370.41000 | 4,381.35900 | 191.11100 | 4,572.47000 |
| 3 | बेगूसराय | 2,903.81500 | 1,486.51800 | 1,846.23200 | 6,236.56500 | 3,936.53900 | 743.25400 | 344.49600 | 1,087.75000 |
| 4 | बेतिया | 3,925.66750 | 1,999.28375 | 2,397.17375 | 8,322.12500 | 4,112.73000 | 753.62000 | 38.03500 | 791.65500 |
| 5 | दरभंगा | 4,050.70000 | 2,025.35000 | 2,483.13000 | 8,559.18000 | 4,781.20000 | 2,204.23000 | 66.00800 | 2,270.23800 |
| 6 | पूर्णियाँ | 2,633.62000 | 1,363.68500 | 1,689.54500 | 5,686.85000 | 3,868.25300 | 1,073.37600 | 84.84700 | 1,158.22300 |
| 7 | रा॰अनु॰को | - | - | 331.00000 | 331.00000 | 168.00000 | 141.30000 | 26.10000 | 167.40000 |
| | कुल योग : | 23,093.17250 | 12,049.01675 | 14,153.80075 | 49,295.99000 | 32,408.07200 | 14,422.37900 | 1,323.64920 | 15,746.02820 |

## 2. गोदाम निर्माण

| क्रम | जिला का नाम | पैक्स गोदाम निर्माण | | | व्यापार मंडल का गोदाम निर्माण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गोदाम निर्माण का लक्ष्य | कार्यादेश निर्गत | कार्य प्रारंभ/पूर्ण | गोदाम निर्माण/मरम्मति का लक्ष्य | कार्यादेश निर्गत | कार्य प्रारंभ/पूर्ण |
| 1 | मोतिहारी | 230 | 187 | 187/ 169 | 21 | 10 | 10 / 6 |
| 2 | औरंगाबाद | 85 | 78 | 78 / 58 | 9 | 7 | 7 / 6 |
| 3 | बेगूसराय | 137 | 28 | 28 / 11 | 12 | 0 | 0 / 0 |
| 4 | बेतिया | 100 | 48 | 48 / 36 | 12 | 0 | 0 / 0 |
| 5 | दरभंगा | 175 | 74 | 74 / 69 | 10 | 2 | 2 / 0 |
| 6 | पूर्णियाँ | 150 | 50 | 50 / 45 | 11 | 3 | 3 / 3 |
| | **कुल योग :** | **877** | **465** | **465 / 388** | **75** | **22** | **22/ 15** |

## 3. व्यवसाय विकास

(राशि लाख रु॰ में)

| क्रम | व्यवसाय का प्रकार | वर्ष 2020–21 (मार्च 21 तक) | वर्ष 2021–22 (दिसम्बर 21 तक) |
|---|---|---|---|
| 1 | कृषि (खाद एवं बीज) | 1,249.15 | 1,109.31 |
| 2 | अधिप्राप्ति | 11,477.27 | 30.62 |
| 3 | उपभोक्ता / पी॰डी॰एस॰ | 1,256.82 | 561.08 |
| 4 | जमा वृद्धि | 182.92 | 79.44 |
| 5 | उपभोक्ता ऋण | - | 1.20 |
| 6 | अन्य | - | 295.03 |
| | **कुल योग :** | **14,166.16** | **2,076.68** |

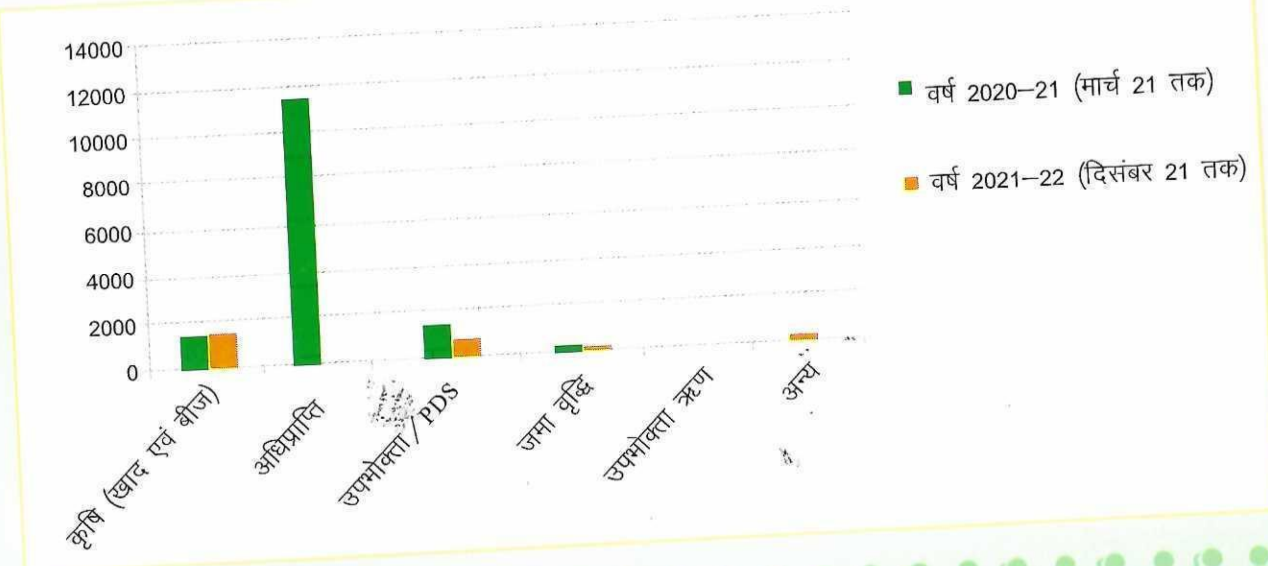

(राशि लाख रु॰ में)

## 4. प्रशिक्षण

| क्रम | प्रशिक्षण | वर्ष 2020–21 (मार्च 21 तक) | वर्ष 2021–22 (दिसम्बर 21 तक) |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रबंधक | 191 | 0 |
| 2 | अध्यक्ष | 284 | 0 |
| 3 | कार्यकारिणी सदस्य | 72 | 0 |
| 4 | सामान्य सदस्य | 884 | 0 |
| 5 | सेल्समैन / अन्य | 110 | 0 |
| | **कुल योग :** | **1541** | **0** |

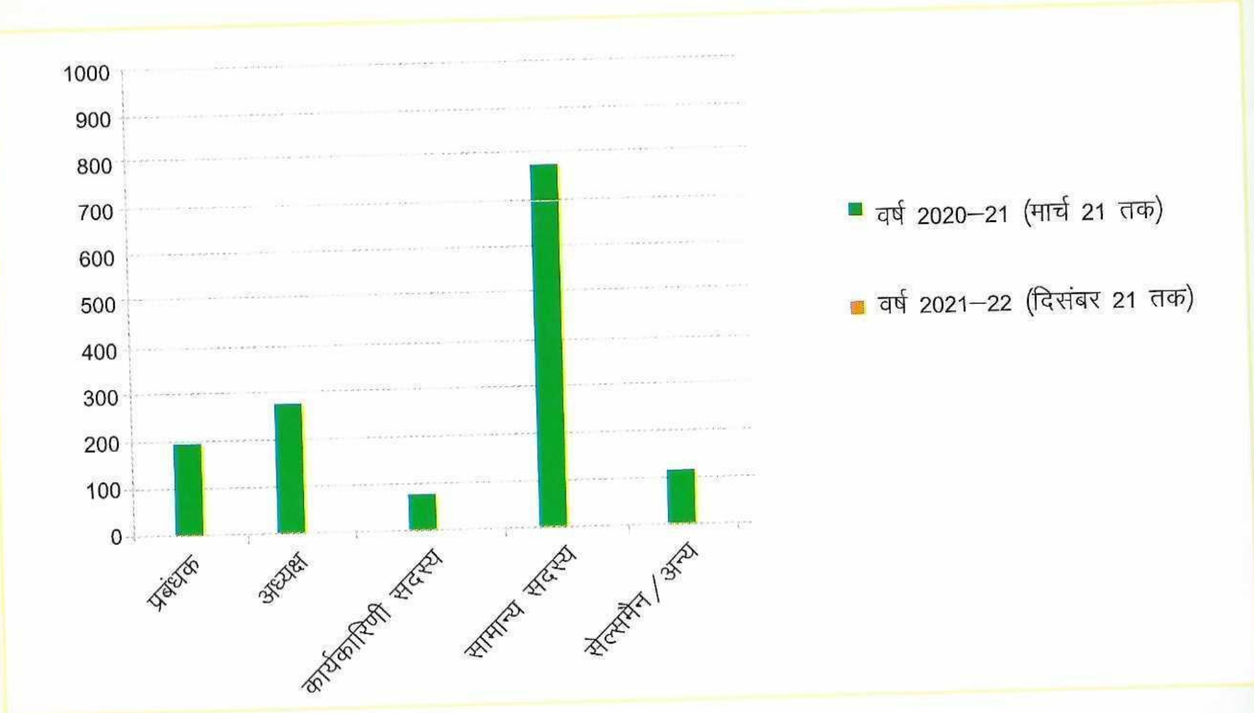

# समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत अन्य उपलब्धिया

- 12 समितियों में चावल मिल की स्थापना।
- 56 समितियों में गैसीफायर सहित चावल मिल की स्थापना।
- 282 पैक्सों में पूर्व निर्मित गोदामों की मरम्मति।
- 73 समितियों में प्याज भंडारण हेतु गोदाम का निर्माण।
- 8 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता।
- 125 समितियों में कम्पोजिट ईकाई की स्थापना।
- 5 समितियों में दाल मिल की स्थापना।
- 37 समितियों में एग्री क्लिनीक की स्थापना।
- 787 वर्मी कम्पोस्ट ईकाई की स्थापना।
- 15 कार्यालय –सह– बिक्री केन्द्र की स्थापना।
- 1 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना।
- 9 सब्जी विपणन केन्द्र की स्थापना।
- 1 मधु प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना।
- 20 ई–सेन्टर की स्थापना।
- 60 मुर्गी पालन केन्द्र की स्थापना।
- खगड़िया जिला में 1 सूर्यमुखी प्रोसेसिंग ईकाई की स्थापना।
- खगड़िया जिला में 1 सोयाबीन प्रोसेसिंग ईकाई की स्थापना।
- खगड़िया जिला में 2 मुर्गी दाना आहार ईकाई की स्थापना।
- नालंदा जिला में 5 समितियों में ग्रामीण विधुतीकरण हेतु गैसीफायर की स्थापना।
- मधुबनी जिला में 1 समिति में गैसीफायर सहित मखाना प्रोसेसिंग ईकाई की स्थापना।
- सीवान जिला में 1 बुनकर सहयोग समिति में गैसीफायर की स्थापना।
- भोजपुर (आरा) जिला में 1 व्यापार मंडल में एल॰पी॰जी॰ गोदाम की स्थापना।
- 26 महिला सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना।
- 46 बुनकर सहयोग समितियों को शेड, लूम, डाई प्लांट इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना।

- 200 समितियों में सिंचाई हेतु पंप सेट (बोर बेल) हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना।
- 252 मत्स्य पालकों को हेचरी, जाल, बोट, आईस बॉक्स के साथ साइकिल हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना।
- 310 मधुमक्खी पालकों को आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना।
- 3 समितियों को फ्लोरिकल्चर हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना।
- 3 समितियों को फल–सब्जी के विपणन हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना।
- 50 समितियों को बकरी पालन हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना।

## आच्छादित किये जाने वाले जिलों के संबंध में प्रतिवेदन

- आच्छादन की प्रक्रिया अंतर्गत जिले– सहरसा, सुपौल, कटिहार, नवादा, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, लखीसराय, अरवल, जमुई, बांका, समस्तीपुर, मुंगेर, किशनगंज, मधेपुरा एवं शेखपुरा।
- द्वितीय चरण में आच्छादन की प्रक्रिया अंतर्गत जिले – बक्सर, सासाराम, गोपालगंज, मधुबनी, गया एवं सीतामढ़ी।

## VII. सहकार भवन

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में बेहतर प्रशासनिक समन्वय स्थापित करने, उनके कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने एवं अभिलेखों के उचित रख–रखाव के उद्देश्य से एक ही परिसर में स्थान आवंटित करने के लिए संकल्प संख्या–3485 दिनांक–07.11.2017 द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला में सहकार भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में G+2 एवं अन्य जिला मुख्यालय में G+1 सहकार भवन का निर्माण किया जाना है। प्रमंडल स्तरीय सहकार भवन के भूतल पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय, सहायक निबंधक का कार्यालय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय हेतु स्थान आवंटित है। प्रथम तल पर केन्द्रीय सहकारी बैंक हेतु स्थान आवंटित है तथा द्वितीय तल पर उत्कृष्टता केन्द्र के लिए स्थान निर्धारित है जिला स्तरीय सहकार भवन के भूतल पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय तथा प्रथम तल पर केन्द्रीय सहकारी बैंक के लिए स्थान निर्धारित है।

**सहकार भवन–एक जनोपयोगी व्यवस्था**

- जिला एवं प्रमण्डल स्तर पर सहकारिता विभाग से संबंधित सभी कार्यालय एक छत के नीचे
- सहकारी समिति के सदस्यों के लिए सुगम व्यवस्था
- प्रशासनिक समन्वय की सहजता

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को समेकित रूप से स्थान आवंटित कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में सहकार भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में सहकार भवन निर्माण हेतु राज्य योजना अन्तर्गत कुल लागत 61.74 करोड़ (एकसठ करोड़ चौहत्तर लाख रूपये मात्र) से 06 (छः) प्रमंडलीय मुख्यालय यथा पटना, कोशी (सहरसा), भागलपुर, गया (मगध), पूर्णियाँ, दरभंगा एवं 18 (अठारह) जिला मुख्यालय यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बाँका, किशनगंज, कटिहार, कैमूर (भभुआ), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज, आरा, नवादा, वैशाली (हाजीपुर), जहानाबाद, अररिया, सीतामढ़ी और सुपौल में कुल–24 (चौबीस) सहकार भवन के निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से 07 (सात) जिला मुख्यालयों यथा मधुबनी, किशनगंज, कटिहार, कैमूर (भभुआ), जमुई, गोपालगंज एवं अररिया में सहकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

# VIII. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करना है जिसके माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों की आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके तथा राज्य की कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक हस्तक्षेप संभव हो। इस योजना के लिए प्रथम चरण में 2927 पैक्सों के लिए प्रति पैक्स 15.00 लाख रू0 की दर से कुल मो0–439.05 करोड़ रूपये प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक पैक्स को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु 50% ऋण (ब्याज सहित) एवं 50% अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी जायेगी। पैक्सों को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाने वाली राशि 05 (पाँच) वर्षों में 10 (दस) अर्द्धवार्षिक किस्तों में सूद सहित वसूल की जायेगी। सम्प्रति प्रथम चरण में 2927 पैक्सों के लिए प्राप्त राशि के विरुद्ध वर्ष 2020–21 में 1962 पैक्सों एवं वर्ष 2021–22 में 965 पैक्सों को कृषि संयंत्र योजना के तहत प्रति पैक्स 15 लाख रूपये की दर से राशि उपलब्ध कराते हुए Gem Portal के माध्यम से कृषि संयंत्र का क्रय किया जा रहा है।

योजना के तहत 1917 पैक्सों द्वारा GeM पर विभिन्न प्रकार के 9844 कृषि यंत्रों के लिए निविदा आमंत्रित करते हुए 5722 कृषि यंत्रों का तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोला जा चुका है तथा पैक्सों द्वारा 5551 कृषि यंत्रों के क्रय हेतु क्रयादेश निर्गत किया गया है। पैक्सों को 4462 कृषि यंत्रों की आपूर्त्ति की जा चुकी है।

**मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना**

- कृषि प्रधान राज्य की कृषि व्यवस्था के यांत्रिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल
- प्रतिस्पर्धात्मक दर पर लघु एवं सीमांत किसानों की आधुनिक कृषि तकनीक तक पहुँच संभव
- कृषि यंत्रों के चयन में पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को प्राथमिकता
- चयनित पैक्सों के द्वारा पारदर्शिता एवं मितव्ययिता के दृष्टिकोण से जेम पोर्टल के माध्यम से कृषि उपकरणों का क्रय

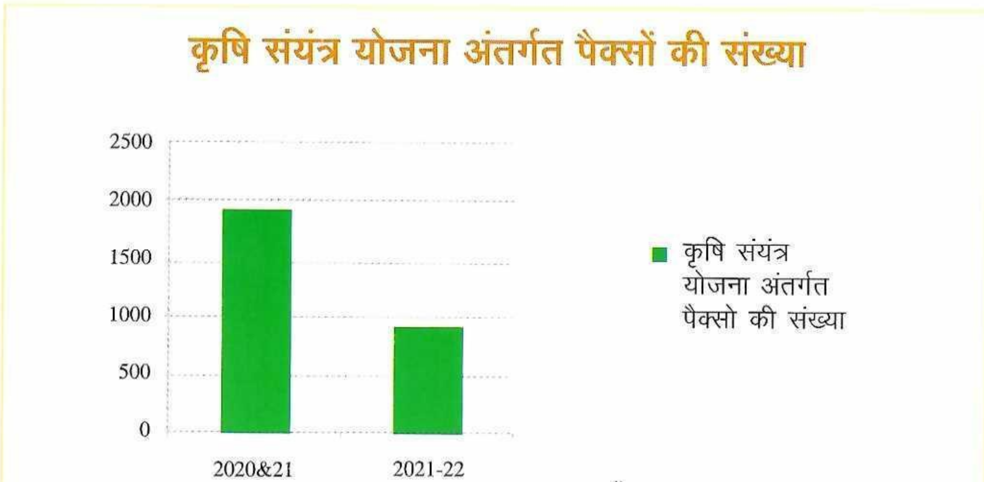

# IX. वार्षिक योजना

वार्षिक योजना वर्ष 2021–22 के लिए राज्य स्कीम अन्तर्गत 77220.00 लाख रू॰ (पुनरीक्षित) का उपबंध उपलब्ध है जिसके विरूद्ध 28129.95 लाख रू॰ का व्यय किया गया। केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अन्तर्गत 36364.83 लाख रूपया का उपबंध उपलब्ध है।

**वर्ष 2021–22 के लिए मदवार उपबंधित राशि एवं व्यय की गयी राशि निम्नवत् है: (31.01.2022 तक)**

(राशि लाख रू॰ में)

| क्र॰ सं॰ | परियोजना का नाम | उपबंधित राशि | | | | व्यय की गयी राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संशोधित उदव्यय | केन्द्र प्रायोजित योजना | कुल राशि | |
| 1 | राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (क्षतिपूर्त्ति) | | 1.00 | | 1.00 | |
| 2 | मौसम आधारित फसल बीमा योजना (प्रीमियम) | | 1.00 | | 1.00 | |
| 3 | संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (प्रीमियम) | | 1.00 | | 1.00 | |
| 4 | प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (प्रीमियम) | | 1.00 | | 1.00 | |
| 5 | बिहार राज्य फसल सहायता योजना | | 37084.62 | | 37084.62 | 41522.42 |
| 6 | एन॰सी॰डी॰सी॰ सम्पोषित समेकित सहकारी विकास परियोजना | | 200.00 | | 200.00 | 147.79 |
| 7 | सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मति | | 1.00 | | 1.00 | |
| 8 | विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण | | 100.00 | | 100.00 | |
| 9 | सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार | | 100.00 | | 100.00 | |
| 10 | सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय | | 52.00 | | 52.00 | |
| 11 | गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान | | 10500.00 | | 10500.00 | 1008.18 |
| 12 | बिहार राज्य भण्डार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान | | 1.00 | | 1.00 | |
| 13 | बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि साख स्थिरीकरण निधि हेतु ऋण (अधिप्राप्ति) | | 1.00 | | 1.00 | |
| 14 | सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन (अनुदान) | | 11350.00 | | 11350.00 | 1308.30 |
| 15 | सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन (निवेश) | | 3750.00 | | 3750.00 | 412.50 |
| 16 | केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अनुदान | | 1.00 | | 1.00 | |
| 17 | केन्द्रीय सहकारी बैंक के हिस्सा–पूँजी में अंशदान | | 1.00 | | 1.00 | |
| 18 | सहकारिता विभाग के भवनों का निर्माण (माँग सं॰–03) | | 1190.38 | | 1190.38 | |
| 19 | पैक्सों/व्यापारमंडलों में ड्रायर निर्माण हेतु अनुदान | | 1800.00 | | 1800.00 | |
| 20 | प्रबंधकीय अनुदान | | 9034.00 | | 9034.00 | 1936.04 |
| 21 | पैक्सों का कम्प्युटरीकरण | | 500.00 | | 500.00 | |
| 22 | मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना | | 1.00 | | 1.00 | |
| 23 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) | केन्द्रांश | 929.00 | | 929.00 | 818.84 |
| | | राज्यांश | 620.00 | | 620.00 | |
| | **(क) राज्य स्कीम का योग** | | 77220.00 | | 77220.00 | 77220.00 |
| **केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम** | | | | | | |
| 1 | मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना (अनुदान) | | | | 21952.50 | 4335.00 |
| 2 | मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना (चक्रीय पूँजी) | | | | 21952.50 | 4335.00 |
| 3 | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (सहायक अनु॰) | | | | | |
| 4 | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (चक्रीय पूँजी) | | | | | |
| | **(ख) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का योग** | | | | 43905.00 | 8670.00 |

## 3. सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। यहाँ की लगभग 80प्रतिशत आबादी कृषि पर ही आधारित है। र कर बिहार विभाजन के पश्चात् इस राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। कृषि पर निर्भर रहने वाले वि कर सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के मौसम में अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने, कृषि इनपुट व्यवस्था करने तथा कृषि उपज की विपणन की व्यवस्था सहकारिता विभाग के माध्यम से की जा रही है त सहकारिता विभाग इसमें सतत् प्रयत्नशील है।

### I. अल्पकालीन सहकारी कृषि साख (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)

सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के निमित सहकारी समिति व संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. एवं प्राथमि स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि. नाबार्ड से पुनर्वि सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसीधनों से जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के कृषक सदस्य को पर्याप्त मात्रा में तथा ससमय अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराती है। अल्पकालीन कृषि साख को सरल बनाने एवं ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारम्भ से 31.12.2021 तक 991775 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 141972.16 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार सभी किसान क्रेडिट कार्डधारी कृषकों को Debit-cum-Rupay card मुहैया कराया जा रहा है। इस प्रकार राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स सहकारी आन्दोलन के परिकल्पना के अनुरुप कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अल्पकालीन साख संरचना को सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाने के उद्देश्य से वैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसा के आलोक में अल्पकालीन साख संरचना को और अधिक प्रजातांत्रिक, सुदृढ एवं जीवन्त बनाया जा रहा है।

**विगत 5 वर्षों में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की स्थिति निम्नवत् है :**

(रू॰ लाख में)

| वर्ष | लक्ष्य | सदस्य की संख्या | उपलब्धि | लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 2017–18 | 103636 | 143836 | 31785.86 | 30.67 प्रतिशत |
| 2018–19 | 60063 | 90654 | 23323.85 | 38.83 प्रतिशत |
| 2019–20 | 50000 | 77506 | 19776.60 | 39.54 प्रतिशत |
| 2020–21 | 50000 | 72987 | 20425.45 | 40.85 प्रतिशत |
| 2021–22 (31.12.2021 तक) | 50000 | 42272 | 11660.41 | 23.32 प्रतिशत |

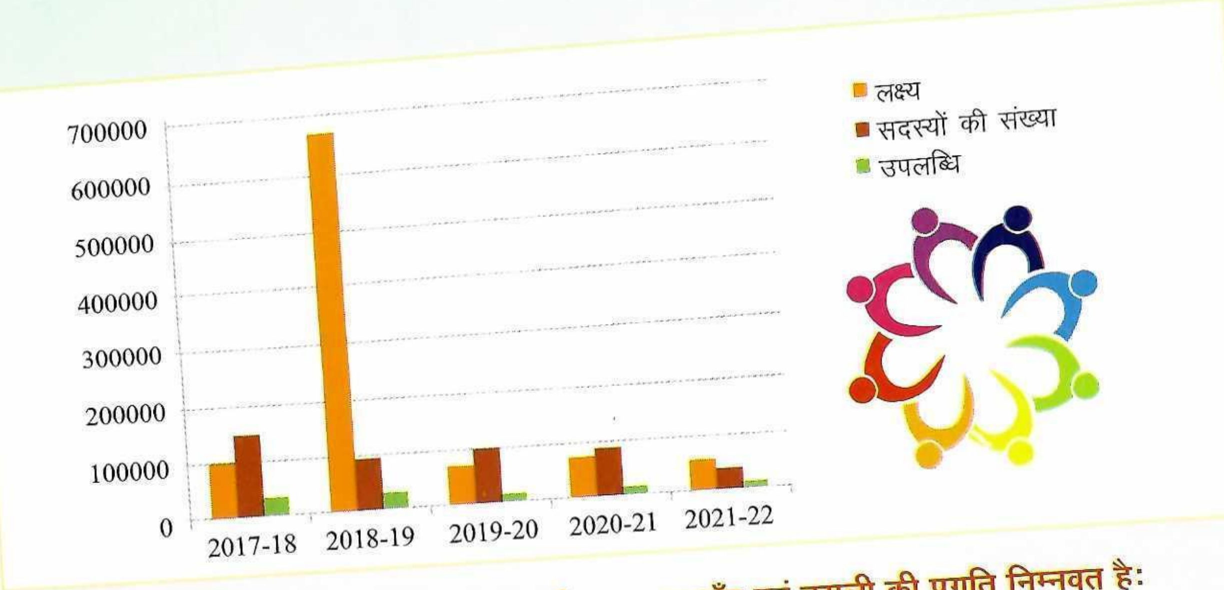


### विगत 5 वर्षों का अल्पकालीन सहकारी ऋण का माँग एवं वसूली की प्रगति निम्नवत् है:

(रू० लाख में)

| वर्ष | मांग | वसूली | अवशेष | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 2017–18 | 77873.54 | 29732.76 | 48140.78 | 38.18 प्रतिशत |
| 2018–19 | 75811.50 | 21106.78 | 54704.72 | 27.84 प्रतिशत |
| 2019–20 | 75015.27 | 20290.44 | 54724.83 | 39.54 प्रतिशत |
| 2020–21 | 72550.12 | 22798.68 | 49751.44 | 31.42 प्रतिशत |
| 2021–22 (31.12.2021 तक) | 71073.64 | 11103.54 | 59970.10 | 15.62 प्रतिशत |

## II. राज्य सहकारी बैंक लि०

अल्पकालीन सहकारी कृषि साख की त्रिस्तरीय संरचनात्मक बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., शीर्ष सहकारी संस्था है, जो राज्य स्तर पर सहकारी कृषि साख संरचना का नेतृत्व प्रदान कर रहा है। यह बैंक नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसाधनों से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से पैक्सों के कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि साख (ऋण) उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

राज्य अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक की 13 शाखायें कार्यरत है, जो पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत है। इन शाखाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के साथ–साथ गैर कृषि यथा व्यैक्तिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, गृह निर्माण शिक्षा ऋण एवं कार ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। विगत कुछ वर्षों में इस बैंक की कार्य संस्कृति एवं कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन आया है, जिसके फलस्वरूप यह बैंक कई वर्षों से लाभ में है।

इस बैंक का मुख्य उद्धेश्य राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रबी फसल के लिए उनके साख जरूरतों को पूरा करने हेतु जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंक और पंचायत स्तरीय प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्सों) के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के साथ–साथ वेतनभोगी एवं कमजोर तबके के लोगों को भी वांछित ऋण उपलब्ध कराना है। राज्य सहकारी बैंक के सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू है। वर्तमान में शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के सभी नियमक मापदण्डों का अनुपालन कर रही है।

### विगत चार वर्षो में राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है:

(राशि लाख रू० में)

| Sl. No. | Particulars | As on 31.03.2018 | As on 31.03.2019 | As on 31.03.2020 | As on 31.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Share Capital | 3000.37 | 2954.60 | 2954.60 | 3621.48 |
| 2 | Statutory Reserve | 14738.97 | 16720.44 | 19086.06 | 21528.80 |
| 3 | Other Reserves | 28739.98 | 30895.30 | 33081.24 | 34278.64 |
| 4 | Undistributed Profit | 3962.95 | 4731.23 | 4885.47 | 7677.39 |
| 5 | Provision for Std.Assets | 716.58 | 734.28 | 633.24 | 1337.91 |
| 6 | Provision for Bad & Doubtful debts | 4279.77 | 5681.11 | 5939.80 | 5505.43 |
| 7 | Provision for Overdue Interest | 5549.02 | 5548.61 | 5548.05 | 4477.66 |
| 8 | Owned Fund | 60987.64 | 56035.85 | 60640.62 | 68444.22 |
| 9 | Deposits | 116183.75 | 134849.08 | 123318.59 | 119897.28 |
| 10 | Borrowings | 80981.08 | 108819.74 | 154248.05 | 296291.35 |
| 11 | Working capital | 300655.50 | 338680.04 | 365973.41 | 496593.51 |
| | Investment | 73731.03 | 86531.72 | 152038.01 | 76517.13 |
| 12 | Security/Treasury Bills | 40084.68 | 36273.46 | 28623.11 | 40898.90 |
| | Fixed /Call Deposits with other Banks | 33646.35 | 50258.26 | 123414.91 | 35618.23 |
| 13 | Loan Outstandig | 200510.98 | 207178.83 | 181950.74 | 354745.05 |
| | Agr. Finance | 36427.35 | 38999.86 | 37067.77 | 34374.03 |

| Sl. No. | Particulars | As on 31.03.2018 | As on 31.03.2019 | As on 31.03.2020 | As on 31.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Non Agr. Finance | 143608.92 | | | |
| | Branches | 20474.71 | 168178.97 | 144882.97 | 320371.02 |
| 14 | Gross NPA | 7718.69 | 9972.61 | 8874.46 | 6599.54 |
| | Agr. Finance | 2739.63 | 3186.63 | 2406.28 | 1286.44 |
| | Non Agr. Finance | 106.94 | 6785.98 | 6468.18 | 5313.10 |
| | Branches | 4872.12 | | | |
| 15 | Provision made for NPA | 4279.77 | 5681.11 | 5939.80 | 5284.71 |
| 16 | Net NPA | 3438.92 | 4291.50 | 2934.66 | 1314.83 |
| 17 | % of Gross NPA to Loan | 3.85% | 4.81% | 4.88% | 1.86% |
| 18 | % of Net NPA to Loan | 1.71% | 2.07% | 1.61% | 0.38% |
| 19 | Cost of deposit | 7.00% | 5.81% | 5.36% | 5.38% |
| 20 | Yield on Assets | 7.47% | 7.68% | 9.09% | 2.01% |
| 21 | Cost of Fund | 5.01% | 4.03% | 7.61% | 4.48% |
| 22 | Cost Of Management | 0.43% | 0.69% | 0.44% | 0.31% |
| 23 | Financial margin | 2.46% | 3.65% | 3.73% | 2.36% |
| 25 | Net Margin | 2.34% | 3.17% | 3.29% | 2.52% |
| 26 | Profit before Tax | 6060.3 | 7272.55 | 7492.83 | 10323.76 |
| 27 | Net Profit | 3962.95 | 4731.23 | 4885.47 | 7677.39 |
| 28 | CRAR | 20.36% | 21.26% | 25.76% | 68.51% |

## III. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰

केन्द्रीय सहकारी बैंक त्रिस्तरीय अल्पकालीन साख संरचना में राज्य सहकारी बैंक एवं पैक्स के बीच कड़ी का काम करता है। यह मध्यवत्ती वित्त पोषक बैंक है। यह बैंक प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) के केन्द्रीय समिति के रूप में अल्पकालीन सहकारी कृषि साख संरचना में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्राधीन में सभी पैक्स अनिवार्य रूप से उसके सदस्य होतं हैं। राज्य में कुल 23 (तेईस) केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है। राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त है। राज्य में तीन केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा सारण, दरभंगा एवं मधेपुरा परिसमापनाधीन है। इन जिलों में कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराने के निमित राज्य सहकारी बैंक की शाखा/विस्तारित शाखा कार्य कर रहा है। इन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है उन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा उनके शाखा कम्प्यूटरीकृत है। साथ ही सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू है।

### केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है:

**Statement showing District Central Co-operative Bank wise financial position for the year 2020-21 as on 31.03.2021**

(Amount Rupees in lakh)

| Sl. No. | Name of DCCB | Deposit | Loans & Advances Outstanding | Share Capital | Reserve & Surplus | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nalanda | 19457.52 | 45309.75 | 3814.62 | 1245.23 | 28859.31 |
| 2 | Patliputra | 36586.62 | 41661.68 | 986.00 | 4973.46 | 26735.73 |
| 3 | Magadh | 10716.73 | 42564.04 | 1601.69 | 1813.47 | 35482.52 |
| 4 | Nawada | 21601.34 | 30823.28 | 4202.56 | 2772.32 | 11936.58 |
| 5 | Ara | 43400.01 | 25253.25 | 1807.72 | 1655.30 | 12595.54 |
| 6 | Sasaram-Bhabhua | 19321.78 | 61045.78 | 7457.40 | 1702.40 | 48831.86 |
| 7 | Bhagalpur | 17251.22 | 18544.17 | 1428.83 | 6065.40 | 13532.71 |
| 7 | Munger-Jamuui | 21004.68 | 30433.98 | 4068.53 | 2168.31 | 14807.74 |
| 8 | Begusarai | 20803.87 | 9015.23 | 863.61 | 1537.33 | 6900.00 |
| 9 | Purnea | 13659.92 | 25715.25 | 4086.34 | 3370.86 | 18263.51 |
| 10 | Muzaffarpur | 7873.84 | 6500.33 | 519.54 | 2133.00 | 382.50 |
| 11 | Sitamarhi | 14582.62 | 10326.77 | 345.55 | 655.74 | 6004.27 |
| 12 | Rohika | 9815.83 | 16770.81 | 3610.46 | 2661.70 | 13522.87 |
| 13 | Bettiah | 14671.88 | 10674.45 | 581.11 | 1157.60 | 2534.81 |
| 14 | Motihari | 13610.48 | 17379.80 | 1603.60 | 4153.27 | 9409.93 |
| 15 | Siwan | 27628.41 | 11693.67 | 934.54 | 683.33 | 9314.15 |
| 16 | Gopalganj | 35933.20 | 10231.11 | 802.37 | 4191.75 | 6430.31 |
| 17 | Aurangabad | 13407.45 | 29982.56 | 1634.86 | 2818.86 | 19446.44 |
| 18 | Khagaria | 2660.85 | 7867.80 | 850.67 | 250.92 | 10243.63 |
| 19 | Katihar | 5099.95 | 10702.50 | 3220.64 | 994.02 | 8654.47 |
| 20 | Vaishali | 4944.03 | 5146.06 | 1167.32 | 50.30 | 2699.97 |
| 21 | Samastipur | 11194.65 | 16388.51 | 2448.29 | 1494.47 | 8220.53 |
| 22 | Supaul | 1411.70 | 13720.19 | 478.49 | 1.04 | 13879.34 |
| 23 | BSCB | 119897.28 | 354745.05 | 3621.48 | 64552.89 | 296291.35 |
| | **Total** | **506535.86** | **852496.02** | **52136.22** | **113102.97** | **624980.07** |

## IV. प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)

राज्य में सहकारी समितियों की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० एवं प्राथमिक स्तर पर कुल–8463 प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) पर कार्यरत है। पैक्स राज्य के कृषकों के साथ साथ राज्य के विकास का आधार स्तंभ है। पैक्स का प्रबंधन 13 सदस्यदीय समिति द्वारा किया जाता हैं। जिनका निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्ष पर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाता है। पैक्स के प्रबंध समिति में 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए पद आरक्षित है। 2 पद पिछड़ा वर्ग 2 पद अतिपिछड़ा वर्ग, 2 पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है।

पैक्स का मुख्य कार्य अपने सदस्यों के लिए आगत की व्यवस्था करना एवं उनके उत्पादों के विपणन में सहयोग करना है। इस क्रम में पैक्स द्वारा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की प्राथमिक इकाई के रूप में अपने सदस्यों को सहकारी बैंक के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही उर्वरक, बीज, कीटनाशक इत्यादि की उपलब्धता हेतु भी कार्य किया जाता है। पैक्सों द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों की सेवा लघु एवं सीमान्त कृषकों तक पहुँचाया जा रहा है। पैक्सों द्वारा जमावृद्धि व्यवसाय एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानों का भी संचालन किया जाता है।

पैक्सों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण रुप से सरकार द्वारा संचालित अधिप्राप्ति कार्य के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनके उत्पादों (धान/गेहूँ) का क्रय किया जाता है। पैक्सों द्वारा सभी लघु एवं सीमांत किसानों तक कृषि कार्य संबंधी सभी सुविधाएँ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में पैक्स की सदस्यता से वंचित परिवार के सदस्यों को सदस्यता दिलाने हेतु विभाग द्वारा ऑन लाईन सदस्यता की व्यवस्था की गयी है। विभागीय वेबसाईट www.cooperative.bih.nic.in के माध्यम से कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऑन लाईन आवेदन कर पैक्स का सदस्य बन सकता है। इसके तहत अब तक 4.5 लाख आवेदकों को पैक्स का सदस्य बनाया जा चुका है। इस प्रकार पैक्सों में कुल सदस्यों की संख्या 1.20 करोड़ हो गयी है। इनमें महिला सदस्यों की संख्या लगभग 36 लाख एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के 17.78 लाख सदस्य बनाये गये है; जो सहकारिता से जुड़ कर अपनी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में सहयोग प्राप्त कर रहे है।

### ग्रामीण विकास केन्द्र के रूप में पैक्स की अवधारणा

- कृषि चक्र की समग्र आवश्यकताओं यथा खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उत्पादों का भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु पैक्स को मजबूत संस्था के रूप में विकसित करना
- पैक्स क्षेत्रान्तर्गत योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों हेतु ऑन–लाईन माध्यम से सदस्य बनने की व्यवस्था
- पैक्सों के आन्तरिक कार्यकलाप में दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु पैक्स कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम प्रक्रियान्तर्गत
- पैक्स में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना प्रक्रियान्तर्गत

# V. सहकारी ऋण वितरण

## Annual Credit Plan ( ACP ) अंतर्गत ऋण वितरण :

राज्य के कृषक सदस्यों को सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन सहकारी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सहकारी बैंकों हेतु वित्तीय वर्ष–2020–21 में SLBC द्वारा Annual Credit Plan (ACP) अंतर्गत निर्धारित कुल लक्ष्य 4000 करोड़ रुपये के विरूद्ध 31.03.2021 तक 6149 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया, जो लक्ष्य का 153.73 प्रतिशत है। वर्ष–2021–22 में Annual Credit Plan (ACP) अंतर्गत निर्धारित कुल लक्ष्य 4066 करोड़ रुपये के विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक 3183 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया, जो लक्ष्य का 78.28 प्रतिशत है।

## किसान क्रेडिट कार्ड :

वित्तीय वर्ष–2020–21 में कुल 72987 कृषकों को 204.25 करोड़ रु० (दो सौ चार करोड़ पचीस लाख) का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिनांक–31.01.2022 तक कुल 46099 कृषकों को 127.71 करोड़ रु० (एक सौ सताईस करोड एकहत्तर लाख) का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया है।

## पैक्स कम्प्युटरीकरण :

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश के पैक्सों का तीन वित्तीय वर्षो में चरणबद्ध तरीके से कम्प्युटरीकरण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत पैक्सों के कम्प्युटरीकरण के लिए योजना का प्रारूप प्रेषित करते हुए इसके संबंध में मंतव्य की मांग की गयी है। राज्य के 8463 पैक्सों के कम्प्युटरीकरण के संबंध में विभागीय मंतव्य एवं सहमति भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त नाबार्ड एवं राज्य सरकार के 50:50 की सहभागिता के आधार पर अनुदान सहायता के माध्यम से राज्य के पैक्सों को कम्प्युटीकृत किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस योजना के लिए मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्यांश रूपया 5 करोड़ देने हेतु राज्य सरकार की सहमति दी जा चुकी हैं।

## पैक्स में सदस्यता :

राज्यान्तर्गत पैक्स की सदस्यता से वंचित परिवार के सदस्यों को सदस्यता दिलाने हेतु विभाग द्वारा ऑनलाईन सदस्यता की प्रक्रिया कार्यान्वित की गयी है। इसके माध्यम से कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऑनलाईन आवेदन कर पैक्स का सदस्य बन सकता है।

# 4. सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित, 2013) के अन्तर्गत निबंधित सहकारी समितियों के लेखा का प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण, वैधानिक अनिवार्यता है। निबंधक, सहयोग समितियाँ के नियंत्रणाधीन अंकेक्षण पदाधिकारियों द्वारा सहकारी समितियों के वैधानिक अंकेक्षण, जाँच अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण सम्पन्न किये जाते हैं। सहकारी समितियों के अंकेक्षण का मूल उद्देश्य समितियों के वार्षिक लेखाओं का अधिनियम, नियमावली एवं समिति के उपविधि प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच कर समिति की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन/सत्यापन/त्रुटियों/अनियमितताओं/दायित्वों का निर्धारण एवं सुधारात्मक उपायों का परामर्श देना है। सहकारी समितियों का अंकेक्षण हेतु विभागीय अंकेक्षकों के अलावे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का पैनल भी निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा स्वीकृत है, जिन्हें परिपत्रानुसार समितियों के अंकेक्षण का दायित्व सौपा गया है।

**वर्तमान वर्ष 2020–2021 एवं विगत् 2 वर्षो (2018–2019 एवं 2019–2020) में सहकारी समितियों में अंकेक्षण की प्रगति निम्नवत् है :**

(रू० लाख में)

| क्र. | समितियों की कुल संख्या | | अंकेक्षण वर्ष | अंकेक्षण की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|
| | पैक्स | व्यापार मंडल | | पैक्स | व्यापार मंडल |
| 1 | 8463 | 523 | 2018–19 | 8275 | 449 |
| 2 | | | 2019–20 | 8175 | 441 |
| 3 | | | 2020–21 | 5960 | 288 |

(24 जनवरी' 2022 तक)

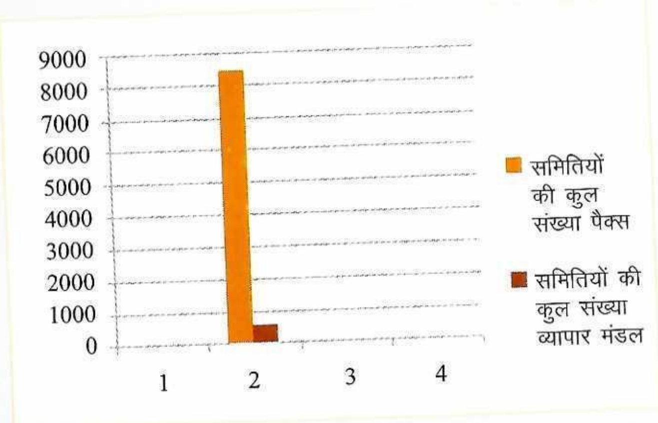


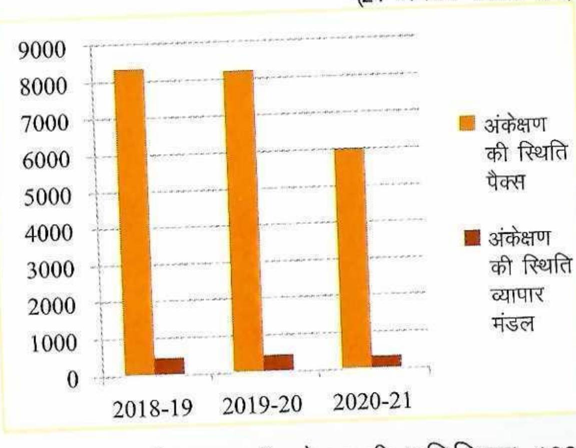


बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित, 2013) के अनुसार सहकारी समितियाँ अपनी लेखाओं का अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम–से–कम एक बार, इस हेतु राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक द्वारा करायेगी। ऐसा अंकेक्षक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत या तो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होगा या निबंधक के कार्यालय का अंकेक्षक होगा। प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण सहकारी समिति के समान्य निकाय द्वारा नियुक्त उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट अंकेक्षक अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म द्वारा किया जायेगा। जहाँ कोई सहकारी समिति समय पर अपने वार्षिक लेखाओं का अंकेक्षण कराने में असफल हो, वहाँ नियत तारीख से (90) नब्बे दिनों के भीतर निबंधक, सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण करायेंगे। ऐसे अंकेक्षण संचालन करने का खर्च सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।

## 5. महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान

### i. सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर

सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर राज्य सरकार द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1955–56 में हुई है। जिसमें प्रशासनिक भवन के साथ–साथ प्रशिक्षार्थियों के आवास की सुविधा उपलब्ध है। इस संस्थान के सफल संचालन हेतु संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल की अध्यक्षता में एक संचालन कमिटि गठित है। जिसके सचिव प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा हैं, तथा सदस्य के रूप में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी समस्तीपुर एवं प्रबंध निदेशक समस्तीपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० नामित है।

विगत वर्षों में प्रशिक्षण केन्द्र का कार्यकलाप ठप्प था, वर्ष 2016 में इसे पुर्नजीवित किया गया, जिसके अन्तर्गत तीस प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण कराया गया तथा इस के संचालन हेतु एक कॉरपस फंड का गठन किया गया है, जिसमें संबद्ध सहकारी संस्थाओं से अंशदान के मद में प्राप्त राशि से प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया जाता है।

### ii. बिहार राज्य सहकारी संघ लि०

सहकारिता प्रक्षेत्र में बिहार राज्य सहकारी संघ लि० राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्था है। इसका गठन वर्ष 1917–18 में हुआ है, इसका निबंधन संख्या 210/1917–18 है। इस संघ का अपना भवन बुद्ध मार्ग, पटना में अवस्थित है। इस संस्था का मुख्य कार्य सहकारी शिक्षा का प्रचार–प्रसार, सहकारी सम्मेलन, सहकारिता सप्ताह का आयोजन एवं सहकारी सेमिनार आयोजित करना रहा है। यह राज्य में निबंधित सभी प्रकार के सहकारी समितियों की एक शीर्ष संस्था है। राज्य के सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं, केन्द्रीय एवं प्राथमिक सहकारी समितियाँ अनिवार्य रूप से इस संस्था के सदस्य हैं। यह संघ सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, समिति के कार्यकारिणी सदस्यों एवं आम सदस्यों को शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी शिक्षा की जानकारी प्रदान करती है। साथ ही साथ सहकारी प्रक्षेत्रों में चलायी जा रही योजनाओं/परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षित भी करती है। इस संस्था की आय का मुख्य स्रोत अपने सदस्य समितियों से वसूल की गयी लेवी है। इसके अतिरिक्त फेडरेशन हॉल, गेस्ट रूम आदि के आरक्षण से प्राप्त होने वाली राशि को भी आय का स्रोत बनाया गया है। कर्मचारियों की कमी के कारण लेवी की वसूली भी नहीं हो पाता है।

### iii. बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ लि०

उपभोक्ता प्रक्षेत्र में यह राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थान है। इस संघ का निबंधन वर्ष 1965 में किया गया है। जिसका निबंधन संख्या– 2 पैट/1965 है। इस संस्था का मुख्य कार्य केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार एवं उपभोक्ता व्यवसाय में संलग्न व्यापार मंडलों को थोक दर पर उपभोक्ता सामग्रियों की आपूर्ति करता रहा है। संघ का कुल हिस्सा पूंजी 244.53 लाख रू० है, जिसमें राज्य सरकार का अंशदान 239.57 लाख रू० है। इस संघ से लगभग राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार सम्बद्ध हैं। अत्यधिक स्थापना व्यय एवं व्यवसायिक घाटे के कारण इस संघ का आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही जर्जर हो गया है। फलस्वरूप इस संघ का कारोवार लगभग ठप है।

### iv. केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता परिक्षेत्र में यह केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता समिति के रूप में गठित है। इस समिति का गठन लगभग सभी पुराने अनुमंडलों में है। बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ की वित्तीय स्थिति जर्जर हो जाने का कुप्रभाव केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार पर भी परिलक्षित होता है। अधिकांश केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार मृत प्रायः हो गया है।

## v. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता परिक्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गठित है। इसका कार्यक्षेत्र शहरों तक ही सीमित है। इसका मुख्य कार्य शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण रहा है। अधिकांश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लगभग निष्क्रिय है। कुछ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार जनवितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न हैं।

## vi. व्यापार मंडल

व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ प्रखंड स्तर की पणन सहकारी समिति है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनके कृषि उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं यथा खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि की व्यवस्था के साथ–साथ कृषि उत्पाद का पणन रहा है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) अनिवार्य रूप से व्यापार मंडल के सदस्य होते हैं। प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल का पुनर्गठन कर लगभग प्रत्येक प्रखंड में व्यापार मंडल का गठन किया गया है। गठित व्यापार मडलों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल कर दिया गया है। वर्त्तमान में राज्य में 521 प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल गठित हैं।

## 6. बिहार राज्य भंडार निगम

### वित्तीय वर्ष 2021–22 में निगम की उपलब्धि एक झलक में:

बिहार राज्य भंडार निगम (Bihar State Warehousing Corporation) केन्द्रीय भंडारण निगम एवं बिहार सरकार का एक संयुक्त लोक उपक्रम है, जो विशेष केन्द्रीय विधन दी वेयर हाउसिंग एक्ट, 1962 (The Warehousing Act, 1962) एवं तत्संबंधी नियमावली के अधीन संचालित है।

### 1. स्थापना:

बिहार राज्य भंडार निगम (बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन) पटना की स्थापना कृषि उत्पाद (विकास एवं भण्डारण) निगम अधिनियम, 1956 (Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act 1956) के अधीन केन्द्रीय भंडार निगम (cwc) के अनुमोदन के पश्चात् मार्च, 1957 में बिहार सरकार विकास (सहकारिता) विभाग की अधिसूचना संख्या–3330 दिनांक 29.03.1957 के द्वारा हुई। उक्त अधिसूचना के द्वारा इसका मुख्यालय, पटना में निर्धारित किया गया। कालक्रम में Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act 1956 के स्थान पर Warehousing Act 1962 लागू हुआ, जिसके अन्तर्गत सम्प्रति बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (बिहार राज्य भंडार निगम) अर्थात BSWC कार्यरत है।

### बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य भंडारण ऐजेंसी :

बिहार राज्य भंडार निगम को बिहार सरकार सहकारिता विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या–3250 दिनांक 12.12.1996 के द्वारा "राज्य भंडारण एजेंसी" के रूप में घोषित किया गया, जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी विभागों, स्वशासी निकायों, लोक उद्यमों एवं उपक्रमों को यह निदेशित किया गया है कि भविष्य में वे अपने स्तर से निजी गोदामों को भाड़े पर नहीं लेंगे बल्कि वे स्थायी रूप से अपनी आवश्यकता बिहार राज्य भंडार निगम, पटना को अधिसूचित करेंगे। बिहार राज्य भंडार निगम, पटना अपने गोदामों के उपलब्ध होने पर आरक्षण प्रदान करेगा। गोदाम अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य विभागों/स्वशासी निकायों/लोक उद्यमों एवं उपक्रमों/सहकारी समितियों अथवा निजी श्रोतों से गोदाम को भाड़े पर लेकर अधियाची संस्थान को उपलब्ध कराएगा।

### 2. उद्देश्य:

- सामग्रियों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण।
- खाद्यान्न, उर्वरक, दवा एवं अधिसूचित सामग्रियों का भंडारण।

### 3. कार्य:

बिहार राज्य भंडार निगम (बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन) का मुख्य कार्य निम्नवत् है:–

- राज्य में कृषि उत्पादों/खाद्यान्नों, उर्वरकों, बीज तथा कृषि संयंत्रों एवं सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण हेतु गोदाम का अर्जन एवं गोदामों का निर्माण करना।
- कृषि उत्पाद तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के संचयन के लिए राज्य में गोदामों का परिचालन करना।
- कृषि उत्पाद तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के लिए परिवहन एवं हथलन व्यवस्था उपलब्ध कराना।

- राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भंडारण निगम के एजेन्सी के रूप में कृषि उत्पाद एवं अन्य अधिसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय, भंडारण एवं वितरण में सहयोग करना।
- सरकार एवं केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा निर्धारित कार्यों का संपादन।

4. **हिस्सा पूँजी/अंश–पूँजी** (Share Capital & Paid up Capital):

निगम का अधिकृत अंश पूँजी 10.00 करोड़ है। निगम में केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार का क्रमशः 50.50 प्रतिशत हिस्सा पूँजी है। संप्रति केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंश पूँजी 642ण्00 लाख है, जिसकी विवरणी अग्रांकित है:–

| **हिस्सा पूँजी** (Share Capital) | |
|---|---|
| केन्द्रीय भंडारण निगम | 500.00 |
| बिहार सरकार | 500.00 |
| **कुल रु.** | 1000.00 |
| **प्रदत्त अंश पूँजी** (Paid up Capital) | |
| केन्द्रीय भंडारण निगम | 321.00 |
| बिहार सरकार | 321.00 |
| **कुल रु.** | 642.00 |

5. **लाभांश** (Dividend) :

अंशधारियों केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार को यथानिदेशित रूप से वित्तीय वर्षवार लाभांश देय है।

6. **मुख्य सामग्रियों का भंडारण :**

खाद्यान्न, दवा, उर्वरक, सीमेंट, दाल, बीज, जूट, सूर्यमुखी बीज, नीरा, उड़द, मसूर, डी.डी.टी. अभियंत्राण सामग्री, पुस्तक, कागज, तौलाई मशीन, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक मतपेटी आदि।

7. **मुख्य जमाकर्त्ता**

भारतीय खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, इफ्फको, जनगणना निदेशालय, आर. सी.एफ. लि., पुस्तक निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, कम्पफेड, सब्जी प्रसंस्करण निगम, व्यापारी, कृषक, बिहार मेडीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. अल्ट्राटेक, ओरिगो लिमिटेड इत्यादि। संप्रति निगम का अधिकांश गोदाम भारतीय खाद्य निगम द्वारा आरक्षित है।

8. **अद्यतन भंडारण क्षमता :**

- अद्यतन भंडारण क्षमता : 8.33 लाख मे. टन।
- अद्यतन गोदाम उपलब्धता विवरणी:

| | | |
|---|---|---|
| (क) | निगम द्वारा स्वनिर्मित गोदाम | 2,09,493 में. टन |
| (ख) | कृषि रोड मैप योजनांतर्गत निर्मित गोदाम | 3,10,000 मे. टन |
| (ग) | पी.ई.जी. योजनांतर्गत निर्मित गोदाम | 2,20,000 मे. टन |
| (घ) | किराया का गोदाम | 94,181 मे. टन |
| | **कुल क्षमता** | **8,33,674 मे. टन** |

9. **भंडारण शुल्क :**

बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम का संसूचित दर सामान्य रूप से प्रभावी है। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के संदर्भ में यथानिदेशित दर व्यवस्था है। वर्तमान भंडारण शुल्क विवरणी अग्रानुसार है:

| | |
|---|---|
| खाद्यान्न | रु. 98.60 प्रति मे. टन प्रति माह (भारतीय खाद्य निगम) |
| | रु. 64.00 प्रति मे. टन प्रति माह (राज्य खाद्य निगम) |
| उर्वरक | रु. 80.00 प्रति मे. टन प्रति माह (CWC दर पर) |
| क्षेत्रफल दर | रु. 17.02 प्रति वर्गफीट प्रति माह (CWC दर पर) |

➢ **मानव बल :**

कुल स्वीकृत पद – 594

निगम में कार्यरत कुल मानव बल ;नियमितद्ध – 78

निगम में कार्यरत कुल मानव बल ;संविदाद्ध – 56

निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत मानव बल – 10

144

निगम में बेल्ट्रॉन से संविदा पर प्रतिनियुक्त मानव बल – 59

निगम में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत मानव बल – 199

➢ **भंडारगृह विवरणी :**

निगम में कार्यरत प्रमंडल – 6 (मुजफ्फरपुर, पटना, मगध, पूर्णिया, भागलपुर, एवं राँची)

कुल भंडारण गृहों की संख्या – 67 (बिहार 57, झारखण्ड 10)

➢ **बिहार राज्य के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रों के नाम :**

| मुजफ्फरपुर प्रमंडल | पटना प्रमंडल | मगध प्रमंडल | पूर्णियाँ प्रमंडल | भागलपुर प्रमंडल |
|---|---|---|---|---|
| मुजफ्फरपुर | आरा | गया (दुर्गावाड़ी) | गुलाबबाग | बरौनी |
| बेतिया | आरा (ARM) | जहानाबाद | गुलाबबाग पी.ई.जी. | भागलपुर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| बेतिया पी.ई.जी. | आरा पी.ई.जी. | वारसलीगंज | कसबा | नौगछिया |
| मोतीहारी | बिहटा | सासाराम | जानकीनगर | खगड़िया पी.ई.जी. |
| मोतीहारी पी.ई.जी. | बिहटा पी.ई.जी. | मोहनियाँ | फारबिसगंज | बेगुसराय |
| सीतामढ़ी | फतुहॉ | मोहनियाँ पी.ई.जी. | फारबिसगंज पी.ई.जी. | बेगुसराय पी.ई.जी |
| समस्तीपुर | बिहारशरीफ | नटवार | कटिहार | जमुई पी.ई.जी. |
| छपरा | बिहारशरीफ पी.ई.जी. | औरंगाबाद पी.ई.जी. (ए. एन. रोड) | मधेपुरा (सिंहेश्वर स्थान) | लखीसराय |
| नरकटियागंज | मसौढ़ी | औरंगाबाद पी.ई.जी. (ओबरा) | मधेपुरा (रसना) | |
| गोपालगंज पी.ई.जी. | बक्सर | गया (मानपुर) | मुरलीगंज | |
| हाजीपुर (सराय) | | | गढ़बनैली | |
| हाजीपुर (घोसवर) | | | किशनगंज पी.ई.जी. | |
| दरभंगा पी.ई.जी. | | | सहरसा | |
| झंझारपुर | | | नरपतगंज | |
| रक्सौल | | | | |

➤ **झारखंड राज्य अंतर्गत भंडार गृहों के नाम :**

| **राँची प्रमंडल** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| पाकुड़ | चतरा | दुमका | गिरीडीह | गोड्डा |
| लोहरदग्गा | बोकारो | गढ़वा | डालटनगंज | सरायकेला |

**व्यवसाय/भौतिक उपलब्धि :**

बिहार राज्य भंडार निगम का खाद्यान्न के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार राज्य भंडार निगम अंतर्गत सम्प्रति 67 स्थानों पर भंडारगृह संचालित है जिसमें अधिकांश स्थान अर्थात 58 स्थानो पर भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न भंडारित है। शेष स्थान पर राज्य खाद्य निगम एवं अन्य संस्थानों यथा केन्द्रीय भंडारण निगम, बी.एम.एस.आई.सी.एल, जनगणना, कम्पफेड, हरित सब्जी प्रसंस्करण निगम एवं अन्य द्वारा उपयोगित है। इस निगम अन्तर्गत सम्प्रति कुल भंडारण क्षमता 8.33 लाख मे.टन है। इसके व्यवसाय एवं लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि रही है, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है:

| क्रमांक | वित्तीय वर्ष | भंडारण क्षमता (लाख मे.टन) | आभोग (लाख मे.टन) | आभोग प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018–19 | 8.08 | 6.28 | 78 प्रतिशत |
| 2. | 2019–20 | 8.17 | 6.78 | 83 प्रतिशत |
| 3. | 2020–21 | 8.39 | 7.52 | 90.4 प्रतिशत |
| 4. | 2021–22 (जनवरी 2022) | 8.33 | 7.86 | 90.2 प्रतिशत |

➢ **वित्तीय उपलब्धि :**

| क्रमांक | वित्तीय वर्ष | आय (लाख रु.) | व्यय (लाख रु.) | लाभ (लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018–19 | 28700.84 | 25125.44 | 3575.40 |
| 2. | 2019–20 | 31450.80 | 27705.31 | 3745.49 |
| 3. | 2020–21 | 44954.46 | 40745.18 | 4209.49 |
| 4. | 2021–22 (जनवरी 2022) | 37654.45 | 33823.01 | 3831.44 |

**अन्यान्य महत्वपूर्ण उपलब्धि :**

1. वित्तीय वर्ष 2020–21 में निगम द्वारा अपने स्त्रोत से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में 50.00 लाख रुपये ;पचास लाख रुपयेद्ध अनुदान माह अपैल 2020 में दिया गया है।

2. सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के अतिमहत्वाकांक्षी योजना ''बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना'' के तहत हरित सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ का गठन किया गया है। संघ को रेल रेक वाले स्थान पर बड़े गोदाम की आवश्यकता के मद्देनजर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बिहार राज्य भंडार निगम ने फतुहा में 1094 मे. टन क्षमता का गोदाम न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया है जो संघ के उद्देश्यों के प्राप्ति एवं व्यवसाय में उपयोगी हो सकता है।

3. भारतीय खाद्य निगम के द्वारा आच्छादित सभी भंडारगृहों में Depot Online System (DOS) कम्प्यूटर प्रणाली कार्यान्वित किया जा चुका है।

4. बिहार राज्य, केन्द्रीय भंडारण निगम के Warehouse Management Solutions (WMS) कम्प्यूटर प्रणाली को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। बिहार राज्य भंडार निगम में WMS को BSWC कार्यप्रणाली के अनरूप समाहित (Customised) कर प्रणाली को (e-bhandaran) नाम से कार्यान्वित किया गया है।

5. बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों का Warehousing Development Regulatory Authority (WDRA) के अन्तर्गत निबंधन की प्रक्रिया शुरू की गई है तथा खाद्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विकसित नये सॉफ्टवेयर Warehousing Details Management System (WDMS) का निगम के अपने सॉफ्टवेयर WMS (e-bhandaran) के साथ समन्वय कर कार्यान्वियन की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। उपर्युक्त कृत्य से बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों की क्षमता एवं उसमें आरक्षित सामग्रियों की समुचित विवरणी राष्ट्रीय फलक (National Dashboard) पर ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगा।

6. निगम के व्यापार में निरंतर विस्तार एवं निर्मित गोदामो की अधिकाधिक अपयोग सुनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य भंडार निगम ने केन्द्रीय भंडार निगम क्षेत्रीय कार्यालय पटना के साथ एक एकरारनामा किया एवं इसके फलस्वरूप बक्सर में 6720 मेट्रिक टन, आरा में 6720 मेट्रिक टन, भागलपुर में 11283 मेट्रिक टन एवं बेगुसराय में 5000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों को रू॰ 10.70 प्रति वर्ग फीट प्रति माह की दर से केन्द्रीय भंडार निगम को उपलब्ध कराया गया है। इससे बिहार राज्य भंडार निगम को कुल रू॰ 18,64,614.00 मासिक एवं रू॰ 2,23,75,369.00 वार्षिक राजस्व की वृद्धि हुई है।

7. वर्ष 2021 में प्रथम बार परिवहन हथलन संवेदको का निबंधन ऑनलाइन प्रक्रिया से किया गया। निबंधन के आधार एवं निविदा के तकनीकी मानदंड को समरूप रखा गया।

8. वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का AGM कराया गया है एवं लाभांश CWC एवं बिहार सरकार को दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन AG को समर्पित है। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही AGM की कार्यवाई आरंभ की जायेगी।

9. वित्तीय वर्ष 2016–17 का संवैधनिक अंकेक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार को समर्पित है।

## 7. सहकारिता विभाग में आई.टी. का समावेश

### I. बिहार राज्य सहकारिता बैंक:

सीमित संसाधनों के बावजूद भी वर्तमान बैंकिग प्रतिस्पर्द्धा के युग में सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को अन्य बैंकों की भाँति तकनीकी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। राज्य के सभी सहकारी बैंक पूर्णतः सी॰बी॰एस॰ प्रणाली में कार्यरत है तथा अपने ग्राहकों को NIFT, RTGS, IMPS रूपे कॉर्ड तथा ए॰टी॰एम॰ आदि की सुविधा प्रदान कर रहा है। सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य में 136 ए॰टी॰एम॰ तथा 715 माईको ए॰टी॰एम॰ की स्थापना की जा चुकी है, शेष प्रक्रियाधीन है। ग्राहकों के बीच लगभग 2.16 लाख रूपे/के॰सी॰सी॰ कॉर्ड तथा खाताधारियों को 1.05 लाख ए॰टी॰एम॰ कॉर्ड वितरित किया गया है। मोबाईल ऐप के द्वारा घर बैठे अभिकर्ता के माध्यम से दैनिक जमा योजना के अन्तर्गत खाता में जमा का सुरक्षित संचालन किया जा रहा है। जमा राशि पर तत्काल 75 प्रतिशत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। दैनिक जमा योजना के संचालन के लिए 2000 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। पैक्सों को भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है, जिसके लिए नाबार्ड से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होनी है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ में तकनीकी कोषांग गठित किया जा रहा है, जो जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की तकनीकी समस्याओं का समाधान करेगा। ग्राहकों को पेमेन्ट वॉलेट, एवं नेट बैंकिंग आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए बैंक तत्पर है। राज्य सहकारी बैंक से सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के साथ संचार व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था भी प्रक्रियाधीन है।

### II. धान अधिप्राप्ति:

प्रत्येक वर्ष सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों से धान के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्सों तथा व्यापारमंडलों द्वारा खरीदारी की जाती है। धान अधिप्राप्ति पैक्स तथा व्यापार मंडल द्वारा किसान से धान खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का समावेश किया गया।

परन्तु वर्ष 2015–16 से राज्य के किसानों से धान खरीदगी के लिए आधुनिकतम तकनीक का समावेश किया गया। राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) के सहयोग से इस कार्य के लिए एक वेब एप्लीकेशन तथा मोबाईल एप्लीकेशन विकसित कराया गया तथा उसी वर्ष से मोबाईल के माध्यम से धान की खरीदगी शुरू की गई, जिस कारण इस व्यवस्था में काफी पारदर्शिता आई। धान खरीदारी के पूर्व किसानों का

ऑनलाईन निबंधन कराकर उनके क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल को उनसे टैग किया गया तथा निर्धारित तिथि को उनसे धान क्रय करने के लिए उक्त संबंधित पैक्स में निबंधन के अनुसार रोस्टर तैयार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान 48 घंटे के भीतर PFMS के माध्यम से सीधे संबंधित किसान के खाते में किया जा रहा है। उक्त सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय, जिला तथा प्रखंड स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। सा… प्रतिवेदनों को रियल टाईम में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में किसानों को आ रही समस्याओं के ऑनलाईन निराकरण के लिए हेल्प लाईन नम्बर तथा ई–मेल उपलब्ध कराया गया है, जिस पर किसानों की समस्याओं का निराकरण ऑनलाईन ही किया जा रहा है।

**III. धान अधिप्राप्ति :**

पंचायत स्तर पर गठित पैक्स ग्रामीण विकास की धूरी हैं। कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि सभी इच्छुक किसान पैक्स का सदस्य बने। पैक्स की सदस्यता को सुगम बनाने के लिए सहकारिता विभाग की तरफ से ऑनलाईन ऐप्प विकसित कर क्रांतिकारी पहल की गई है।

राज्य में कुल 8463 पैक्स हैं। चूँकि पैक्स ग्रामीण विकास की धूरी है, अतः आवश्यक है कि पैक्स के सदस्य बनने की प्रक्रिया सहज हो तथा पुरी प्रक्रिया का विभागीय स्तर पर अनुश्रवण किया जा सके। पैक्सों में ऑनलाईन सदस्यता दिलाने हेतु विभाग के पहल पर राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) के सहयोग से पैक्सों में सदस्यता हेतु ऑनलाईन पद्धति से पैक्स में सदस्यता आवेदन देने की व्यवस्था लागू करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन विकसित कराया गया जिसका लोकापर्ण 05 सितम्बर 2017 से पूरे राज्य में माननीय मंत्री सहकारिता द्वारा किया गया। इस साफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी वैध पात्र, निर्धारित समय–सीमा के अन्दर अपने पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पैक्स में सदस्यता पा सकता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय तथा जिला स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। किसानों को सदस्यता हेतु आवेदन देने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर के साथ कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराया गया है।

**IV. बिहार राज्य फसल सहायता योजना :**

बिहार राज्य फसल सहायता योजना राज्य के किसानों को फसल में हुई क्षति की भरपाई करने हेतु खरीफ तथा रबी के फसल के लिए रैयत एवं गैर–रैयत तथा दोनो प्रकार के किसानों के लिए वर्ष 2018 से राज्य में लागू की गई है। इसके लिए राज्य के दोनों प्रकार के कृषको से प्रीमियम मद में कुछ भी राशि देय नहीं होती है। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम किसानों को कृषि विभाग के किसान निबंधन संख्या के द्वारा विभागीय पोर्टल पर निबंधन कराना होता है, तदोपरान्त इससे संबंधित मूलभूत जानकारियों को पोर्टल पर अपलोड करना होता है। उसके बाद इस प्रकार प्राप्त आवेदनों को संबंधित जिला एवं प्रखंड स्तर पर विभागीय पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों का ऑनलाईन मोबाईल एप्प द्वारा सत्यापन कराया जाता है। उसके बाद अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्राप्त उक्त वर्ष फसल कटनी आकंड़ों के आधार पर संबंधित क्षेत्र में हुई फसल की क्षति का आकलन साफ्टवेयर के माध्यम से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा किया जाता है तथा उक्त क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर हुई फसल क्षति पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार मानदेय को ऑनलाईन सीधे निबंधित किसान के बैंक खातें में DBT के माध्यम से भुगतान कर दिया जाता है।

NIC के तकनीकी सहयोग से विकसित बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा E–Governance के लिए award of excellence प्रदान किया गया।

**V. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना :**

राज्य के सभी 8463 पैक्सों में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, (NCDC) नई दिल्ली द्वारा वित्तीय सहायता के आधार पर सम्पोषित "मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना" लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक पैक्स को कृषि सयंत्र क्रय करने हेतु अधिकतम 15,00,000 (पन्द्रह लाख) रुपये उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु सभी इच्छुक पैक्सों को ऑनलाईन भारत सरकार द्वारा निर्मित GEM पोर्टल पर निबंधन करा कर चयनित कृषि सयंत्र को GEM पोर्टल पर BID द्वारा क्रय किया जा रहा है। इस योजना के तहत क्रय तथा भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु पुर्ण रुप से ऑनलाईन है।

**VI. पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण योजना :**

पैक्सों में समान लेखा प्रणाली (CAS) लागू है। CAS को सुगम बनाने तथा समितियों के कामकाज में पारदर्शिता तथा एकरूपता लाने के उद्देश्य से पैक्सों के क्म्प्यूटरीकण की योजना है। इस योजना के तहत चयनित पैक्सों को कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराया जाएगा। पैक्सों के कार्यकलापों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर से संचालन करना होगा।

**VII. सहकारी समितियों का निबंधन :**

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1996 के तहत सहकारी समितियों के निबंधन हेतु On-Line आवेदन की प्राप्ति एवं Online निष्पादन की सुविधा विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए सहकारी समिति गठित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति सहकारिता विभाग, बिहार के अधिकारिक बेवसाइट Cooperative.bih.nic.in पर जाकर अपना User ID एवं पासवर्ड बनाने के पश्चात् सहकारी समिति के निबंधन हेतु आवेदन एवं अन्य कागजात Online समर्पित कर सकते है। निबंधन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् समिति का निबंधन प्रमाण पत्र अथवा निबंधन अस्वीकृति की दशा में अस्वीकृति पत्र आवेदक Online विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है।

**VIII. अंकेक्षण :**

समिति के अंकेक्षण को पारदर्शी बनाने के लिए अंकेक्षण की प्रक्रिया को Online कर दिया गया है। Online Audit app के माध्यम से समितियों से संबंधित डाटा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन अपलोड कराया जा रहा है। जिससे समितियों की आर्थिक स्थिति का प्रभावी अनुश्रवण तथा अंकेक्षण में पारदर्शिता लाया जा सकेगा।

# परिशिष्ट – I

## विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ

- सहकारिता आन्दोलन के क्रम में सहकारी समितियों की संगठनात्मक संरचना त्रिस्तरीय यथा शीर्ष (Apex), केन्द्रीय एवं प्राथमिक है।
- समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग उद्देश्यों के अनुरूप साख (Credit) एवं गैर–साख (Non-Credit) सहकारी समितियाँ शहरों एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रो मे गठित है।
- कृषि साख की सुविधा हेतु राज्य स्तरीय बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ एवं पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति गठित है।
- कृषि उत्पाद का पणन एवं भंडारण के निमित पणन सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु उपभोक्ता भंडार गठित है।
- कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादक, कुकुटपालन आदि समितियाँ गठित हैं।
- श्रमिकों के हितार्थ श्रमिक सहकारी समितियाँ गठित हैं।
- रोजगार पूरक के रूप में चर्मकार, अद्योगिक, नाव यातायात, परिवहन आदि समितियाँ गठित हैं।
- सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी तथा विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बचत भावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बचत एवं साख सहकारी समितियाँ गठित है।
- बुनकरों के हितार्थ बुनकर सहकारी समितियाँ गठित है तथा राज्य के कमजोर वर्ग धुनियाँ, रंगरेज एवं दर्जी के कल्याणार्थ राज्य स्तर पर "धुरद" शीर्ष सहकारी संस्थान भी गठित है।
- समाज के सबसे कमजोर वर्ग महिलाओं के हितार्थ महिला सहकारी समिति भी प्राथमिक स्तर पर गठित है।
- मत्स्य विकास की अपार सम्भावनाओं के मद्देनजर जलकरों की बन्दोवस्ती परम्परागत मछुआरों के साथ करने के उद्देश्य से पूर्व से सहकारी समिति अधिनियम, 1935 एवं स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत् गठित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को पुनर्गठित कर सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ भी गठित हैं।

# परिशिष्ट – II

## राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) | – | 8463 |
| 2. | व्यापार मंडल सहयोग समिति | – | 521 |
| 3. | सहकारी उपभोक्ता भंडार (केन्द्रीय+प्राथमिक) | – | 1874 |
| 4. | प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति | – | 473 |
| 5. | बचत एवं साख सहयोग समिति | – | 327 |
| 6. | गृह निर्माण सहयोग समिति | – | 2741 |
| 7. | औद्योगिक सहयोग समिति | – | 2647 |
| 8. | विशेष प्रकार की सहकारी समिति | – | 393 |
| 9. | कुकुटपालन सहयोग समिति | – | 237 |
| 10. | शीत भंडार सहकारी समिति | – | 50 |
| 11. | श्रमिक सहकारी समिति | – | 4577 |
| 12. | ग्रामोदय सहकारी समिति | – | 844 |
| 13. | महिला विकास सहयोग समिति | – | 430 |
| 14. | बुनकर सहयोग समिति | – | 1089 |
| 15. | प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक समितियाँ | – | 276 |
| 16. | फलसब्जी उत्पादक सहयोग समिति | – | 342 |
| 17. | तेल उत्पादक सहयोग समिति | – | 474 |
| 18. | दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति | – | 4279 |
| 19. | ताड़ गुड़ उत्पादक सहयोग समिति | – | 76 |
| 20. | सिंचाई सहयोग समिति | – | 557 |
| 21. | संयुक्त कृषि सहयोग समिति | – | 406 |
| 22. | नाव यातायात सहयोग समिति | – | 89 |
| 23. | चर्मकार सहयोग समिति | – | 187 |
| 24. | परिवहन सहयोग समिति | – | 172 |
| 25. | सर्वोदय सहयोग समिति | – | 54 |
| 26. | प्राथमिक मधुमक्खी पालन शहद उत्पादक प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति लि0 | – | 01 |
| 27. | सभी प्रकार के स्वावलम्बी सहयोग समिति | – | 7887 |
| | | | 39362 |

(नोटः पैक्स, व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को छोड़कर अन्य प्रकार की कुछ समितियाँ मृत प्रायः है जिसे परिसमापित किया जा रहा है।)

# परिशिष्ट – III

## गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की समितियों की संख्या

| क्रम | जिला | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | | | 2013–14 | | 2014–15 | | 2015–16 | | 2016–17 | | 2017–18 | 2018–19 | | | 2019–20 | | | 2021–22 | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1000 मे०ट० | 500 मे०ट० | 200 मे०ट० | 200 मे०ट० | 500 मे०ट० | 200 मे०ट० | 500 मे०ट० | 200 मे०ट० | 500 मे०ट० | 200 मे०ट० | 500 मे०ट० | 200 मे०ट० | 1000 मे०ट० | 500 मे०ट० | 200 मे०ट० | 1000 मे०ट० | 500 मे०ट० | 200 मे०ट० | 1000 मे०ट० | 500 मे०ट० | |
| 1 | बाँका | 2 | 20 | 2 | - | 20 | 12 | - | 12 | - | 28 | 2 | 7 | - | 11 | | | 7 | - | 2 | 3 | | | 123 |
| 2 | भागलपुर | - | 2 | 2 | 2 | 19 | 4 | - | 33 | - | 6 | - | 12 | 1 | 8 | | | 10 | - | - | - | | | 99 |
| 3 | समस्तीपुर | 3 | - | 3 | 6 | 50 | 45 | - | 38 | 2 | 32 | 3 | 13 | | 20 | 1 | 1 | 25 | 4 | - | 1 | 4 | | 246 |
| 4 | दरभंगा | - | - | 3 | 1 | 3 | 30 | - | 34 | 4 | 16 | 1 | 12 | | 7 | | | | - | - | - | | | 111 |
| 5 | मधुबनी | - | - | 7 | 4 | 33 | 31 | - | 21 | - | 2 | - | 17 | | - | | 6 | 25 | - | 2 | 4 | | | 146 |
| 6 | गया | - | - | - | - | 32 | 86 | 9 | 42 | 5 | 13 | - | 10 | 1 | 12 | | 3 | 2 | - | - | - | 4 | 7 | 226 |
| 7 | नवादा | 2 | - | 2 | - | 30 | 60 | - | | - | 17 | 6 | 11 | | 4 | | | 3 | - | - | 2 | | | 135 |
| 8 | औरंगाबाद | 1 | 38 | 12 | 10 | 67 | 20 | - | 29 | - | - | - | | | - | | | | - | - | - | 7 | 4 | 188 |
| 9 | जहानाबाद | - | - | - | - | 15 | 17 | - | 31 | 6 | - | - | | | - | | | | - | - | - | | | 69 |
| 10 | अरवल | - | - | 2 | 2 | 12 | - | - | 6 | - | - | - | 7 | | 7 | | | 3 | - | - | 3 | | | 39 |
| 11 | लखीसराय | 5 | 3 | 1 | - | 11 | - | - | 10 | 3 | 3 | - | 2 | | 2 | | 3 | 7 | - | - | - | 2 | 6 | 58 |
| 12 | बेगूसराय | - | 5 | 2 | 4 | 24 | 10 | - | 7 | - | 26 | 3 | 5 | | - | | | | - | - | - | | | 86 |
| 13 | मुंगेर | - | - | - | - | 27 | - | - | 4 | - | 1 | - | 7 | | 1 | | | 8 | - | 1 | - | 2 | | 50 |
| 14 | जमुई | - | - | 2 | 7 | 8 | 37 | - | 37 | 3 | 9 | - | 4 | | 4 | | 2 | 11 | - | - | - | | | 124 |
| 15 | शेखपुरा | - | - | 1 | - | 18 | 1 | - | 3 | 3 | 7 | - | 1 | | 2 | | 1 | 1 | - | - | - | | | 37 |
| 16 | खगड़िया | - | - | 2 | - | - | - | - | 11 | - | 2 | 1 | 5 | | - | | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | | 23 |
| 17 | सीवान | 20 | - | 2 | 4 | 20 | 51 | - | 9 | - | 10 | - | 8 | | 13 | | 2 | 19 | - | 1 | 7 | | | 158 |
| 18 | गोपालगंज | 4 | - | - | 5 | 20 | - | - | 34 | - | 1 | - | 4 | | 6 | | 1 | 12 | - | - | - | | 1 | 88 |
| 19 | सारण | - | 8 | - | 2 | 17 | - | 3 | 3 | 1 | 8 | - | 20 | | 25 | | 7 | 9 | - | 3 | 4 | | 2 | 105 |
| 20 | रोहतास | 10 | 16 | 5 | - | 40 | 76 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 14 | | 11 | 1 | 5 | 6 | - | - | 7 | 2 | 18 | 235 |
| 21 | भोजपुर | 6 | 9 | 4 | - | 30 | - | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | | 8 | | 1 | 9 | - | - | - | | | 96 |
| 22 | पटना | 19 | - | 1 | 1 | 50 | 32 | 1 | 10 | - | 18 | 4 | 13 | | 23 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 212 |
| 23 | कैमूर | 12 | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | 45 | 5 | 5 | | 3 | 5 | 13 | 8 | 1 | - | 1 | 12 | 16 | 133 |
| 24 | नालन्दा | 8 | - | 8 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 7 | | 14 | | 1 | 7 | - | 2 | 3 | | | 51 |
| 25 | बक्सर | - | 3 | - | 1 | 28 | 45 | - | 2 | - | - | - | 5 | | - | | 3 | 2 | - | - | - | | | 89 |
| 26 | मुजफ्फरपुर | 15 | 7 | 4 | 7 | 53 | 53 | 6 | 7 | - | 14 | - | 16 | | 11 | 6 | 4 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 222 |
| 27 | बेतिया | 11 | - | 6 | - | 20 | 39 | 5 | 1 | 10 | 1 | - | 10 | | - | | | | - | - | - | | | 103 |
| 28 | वैशाली | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 37 | 2 | 5 | | 33 | 5 | 1 | | 3 | 2 | - | 1 | | 96 |
| 29 | मोतीहारी | - | - | 5 | 1 | 20 | 24 | - | - | - | 3 | 1 | 26 | | 2 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 85 |
| 30 | सीतामढ़ी | - | - | 1 | - | 20 | 22 | 1 | 33 | 2 | 52 | 3 | 4 | | 7 | | 2 | 14 | 1 | 3 | - | | | 161 |
| 31 | शिवहर | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 22 | 1 | | | - | | | | 4 | - | - | | | 27 |
| 32 | सुपौल | - | 8 | 4 | 2 | 21 | 47 | 2 | 14 | 1 | 7 | 1 | 4 | | 6 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | 8 | 1 | 139 |
| 33 | मधेपुरा | - | - | 3 | 3 | 20 | 19 | 3 | 11 | 1 | 1 | - | 7 | | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | - | 4 | | 95 |
| 34 | सहरसा | - | - | 1 | - | 11 | 55 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 2 | 4 | - | 4 | 3 | 120 |
| 35 | पूर्णिया | - | 12 | 5 | 1 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 9 | | - | | | | 3 | - | - | 2 | | 69 |
| 36 | अररिया | - | - | 3 | 2 | 20 | 6 | - | 52 | 4 | - | - | 5 | | 5 | | | 9 | 2 | 3 | - | 1 | | 107 |
| 37 | कटिहार | - | - | 2 | 1 | 10 | 25 | 2 | 15 | - | - | - | 11 | | 1 | 1 | 2 | 16 | - | - | - | 1 | | 87 |
| 38 | किशनगंज | - | - | 2 | 7 | 30 | 17 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | | | 8 | - | - | - | 2 | 2 | 76 |
| | कुल | 120 | 131 | 100 | 78 | 819 | 884 | 40 | 535 | 55 | 405 | 42 | 301 | 3 | 277 | 33 | 82 | 274 | 27 | 29 | 42 | 69 | 69 | 4314 |

# चावल मिल.सह.गैसीफायर एवं विद्युत आधारित चावल मिल (2MT) निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की समितियों की संख्या

| क्रम | जिला | 2008-09 | 2010-11 | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2020-21 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पैक्स | व्यापार मंडल | पैक्स | व्यापार मंडल | पैक्स | व्यापार मंडल | पैक्स | व्यापार मंडल | पैक्स/ व्यापार मंडल | पैक्स/ व्यापार मंडल | पैक्स/ व्यापार मंडल | पैक्स/ व्यापार मंडल | |
| 1 | बाँका | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 13 |
| 2 | भागलपुर | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
| 3 | समस्तीपुर | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 6 | - | 1 | 19 |
| 4 | दरभंगा | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 13 |
| 5 | मधुबनी | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 13 |
| 6 | गया | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | 7 | - | 2 | 21 |
| 7 | नवादा | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | | - | 2 | - | 1 | 12 |
| 8 | औरंगाबाद | 3 | 6 | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 27 |
| 9 | जहानाबाद | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
| 10 | अरवल | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
| 11 | लखीसराय | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 12 |
| 12 | बेगूसराय | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
| 13 | मुंगेर | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
| 14 | जमुई | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 15 |
| 15 | शेखपुरा | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 10 |
| 16 | खगड़िया | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 17 | सीवान | 3 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 17 |
| 18 | गोपालगंज | - | - | 3 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 15 |
| 19 | सारण | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | 11 |
| 20 | रोहतास | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | 14 | 3 | 16 | 5 | - | 6 | - | 1 | 59 |
| 21 | भोजपुर | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 15 |
| 22 | पटना | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 7 | - | 2 | 19 |
| 23 | कैमूर | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 5 | - | - | 6 | - | 2 | 27 |
| 24 | नालन्दा | - | 3 | 6 | 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 24 |
| 25 | बक्सर | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 |
| 26 | मुजफ्फरपुर | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 16 |
| 27 | बेतिया | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 |
| 28 | वैशाली | 2 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 15 |
| 29 | मोतीहारी | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 16 |
| 30 | सीतामढ़ी | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 15 |
| 31 | शिवहर | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 32 | सुपौल | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 18 |
| 33 | मधेपुरा | - | 2 | 2 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 14 |
| 34 | सहरसा | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 |
| 35 | पूर्णियाँ | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 12 |
| 36 | अररिया | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 5 | 1 | - | 3 | - | 1 | 17 |
| 37 | कटिहार | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 |
| 38 | किशनगंज | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
| | **कुल** | 40 | 58 | 73 | 10 | 94 | 11 | 60 | 9 | 74 | 11 | 0 | 93 | 6 | 34 | 573 |

# परिशिष्ट – IV

## विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना

सहकारिता विभाग का निम्न स्वरूप है जिनके अन्तर्गत सचिवालय एवं निदेशालय क्रमशः प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ के अन्तर्गत पृथक–पृथक कार्यरत है।

निम्नांकित चार्ट से संगठनात्मक स्वरूप परिलक्षित होगा :

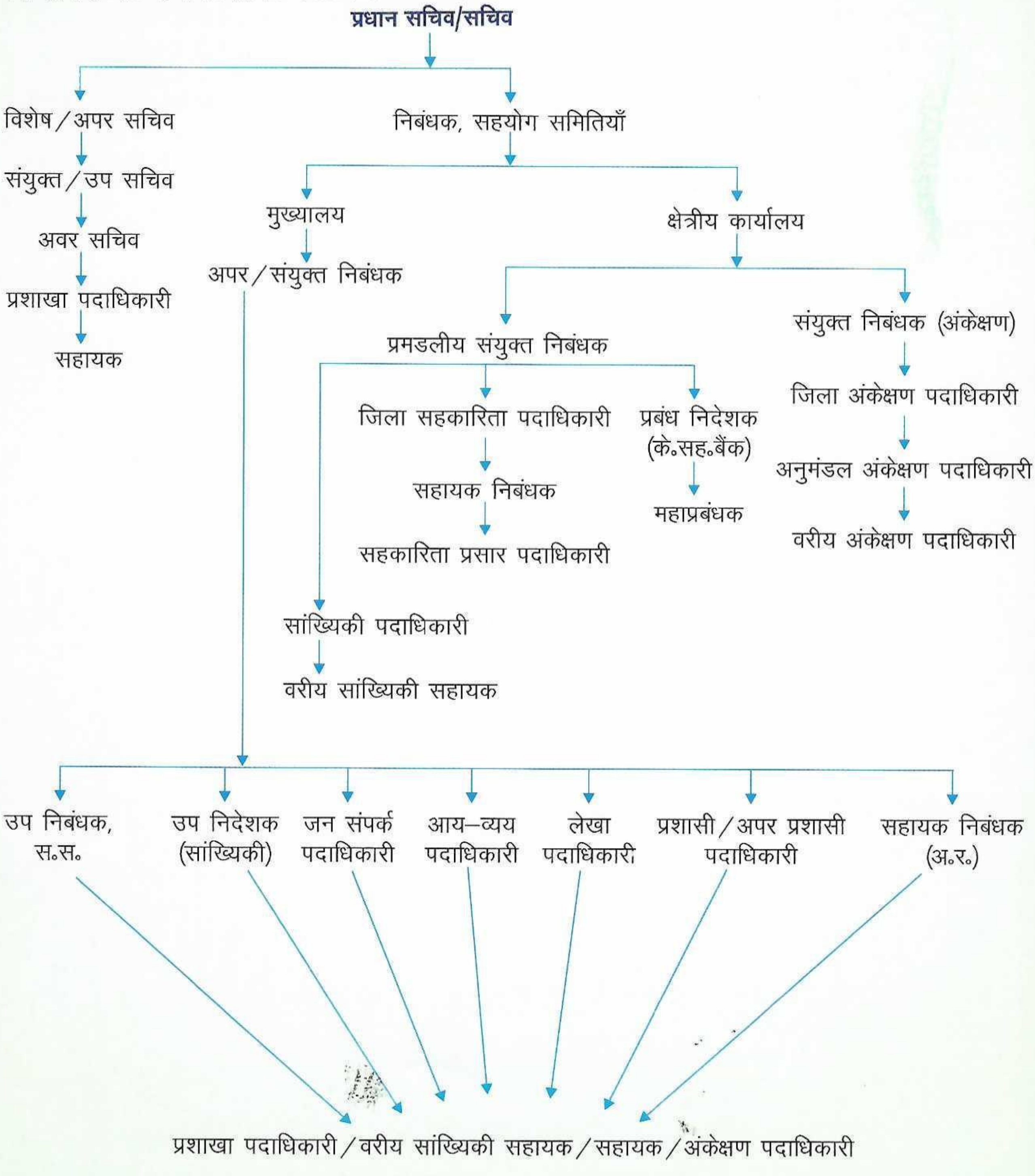

# परिशिष्ट – V

## सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण), जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा अनुमंडल स्तर पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय हैं।

**प्रमंडलवार कार्यालयों का विवरण निम्नांकित हैं :**

| प्रमंडल | जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय | प्रमंडल | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय |
|---|---|---|---|---|
| 1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना | 1. पटना | 1 पटना सदर<br>2. बाढ़<br>3. पटनासिटी<br>4. दानापुर<br>5. मसौढ़ी | 1. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना | 1. पटना |
| | 2. नालन्दा | 6. बिहारशरीफ<br>7. हिलसा | | 2. नालंदा |
| | 3. भोजपुर | 8. आरा | | 3. भोजपुर |
| | 4. बक्सर | 9. बक्सर<br>10. डुमराँव | | |
| | 5. रोहतास | 11. सासाराम<br>12. बिक्रमगंज | | 4. रोहतास |
| | 6. कैमूर | 13. कैमूर | | |
| 2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया | 7. गया | 14. गया<br>15. शेरघाटी | 2. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया | 5. गया |
| | 8. जहानाबाद | 16. जहानाबाद | | |
| | 9. अरवल | 17. अरवल | | |
| | 10. औरंगाबाद | 18. औरंगाबाद | | 6. औरंगाबाद |
| | 11. नवादा | 19. नवादा | | 7. नवादा |

| प्रमंडल | जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय | प्रमंडल | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय |
|---|---|---|---|---|
| 3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर | 12. मुजफ्फरपुर | 20. मुजफ्फरपुर पूर्वी | 3. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर | 8. मुजफ्फरपुर |
| | | 21. मुजफ्फरपुर पश्चिमी | | |
| | 13. वैशाली | 22. हाजीपुर | | 9. वैशाली |
| | 14. सीतामढ़ी | 23. सीतामढ़ी | | 10. सीतामढ़ी |
| | | 24. पुपरी | | |
| | 15. शिवहर | 25. शिवहर | | |
| | 16. मोतिहारी | 26. मोतिहारी | | 11. मोतिहारी |
| | | 27. सिकरहना | | |
| | 17 बेतिया | 28. बेतिया | | 12. बेतिया |
| | | 29. बगहा | | |
| 4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा | 18. दरभंगा | 30. दरभंगा | 4. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा | 13. दरभंगा |
| | | 31. बेनीपुर | | |
| | 19. मधुबनी | 32. मधुबनी | | 14. मधुबनी |
| | | 33. झंझारपुर | | |
| | | 34. बेनीपट्टी | | |
| | 20. समस्तीपुर | 35. समस्तीपुर | | 15. समस्तीपुर |
| | | 36. दलसिंहसराय | | |
| | | 37. रोसड़ा | | |
| | | 38. पटोरी | | |

| प्रमंडल | जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय |
|---|---|---|
| 5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा | 21. सारण | 39. छपरा<br>40. सोनपुर |
| | 22. सिवान | 41. सिवान |
| | 23. गोपालगंज | 42. गोपालगंज |
| 6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर | 24. भागलपुर | 43. भागलपुर<br>44. नवगछिया |
| | 25. बांका | 45. बांका |
| | 26. मुंगेर | 46. मुंगेर |
| | 27. जमुई | 47. जमुई |
| | 28. शेखपुरा | 48. शेखपुरा |
| | 29. लखीसराय | 49. लखीसराय |
| | 30. बेगूसराय | 50. बेगूसराय |
| | 31. खगड़िया | 51. खगड़िया |
| 7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा | 32. सहरसा | 52. सहरसा<br>53. बीरपुर<br>54. त्रिवेणीगंज |
| | 33. सुपौल | 55. सुपौल |
| | 34. मधेपुरा | 56. मधेपुरा<br>57. उदाकिशनगंज |
| 8. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ | 35. पूर्णियाँ | 58. पूर्णियाँ |
| | 36. अररिया | 59. अररिया |
| | 37. किशनगंज | 60. किशनगंज |
| | 38. कटिहार | 61. कटिहार |

| प्रमंडल | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय |
|---|---|
| 5. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा | 16. सारण |
| | 17. सिवान |
| | 18. गोपालगंज |
| 6. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर | 19. भागलपुर |
| | 20. मुंगेर |
| | 21. बेगूसराय |
| | 22. खगड़िया |
| 7. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सहरसा एवं पूर्णियाँ प्रमंडल, सहरसा | 23. सहरसा |
| | 24. पूर्णियाँ |
| | 25. कटिहार |

# एक सब के लिए, सब एक के लिए

सचिव सहकारिता श्रीमति बंदना प्रेयाषी
सीतामढ़ी जिले के सहकारी प्रतिनिधियों के बीच

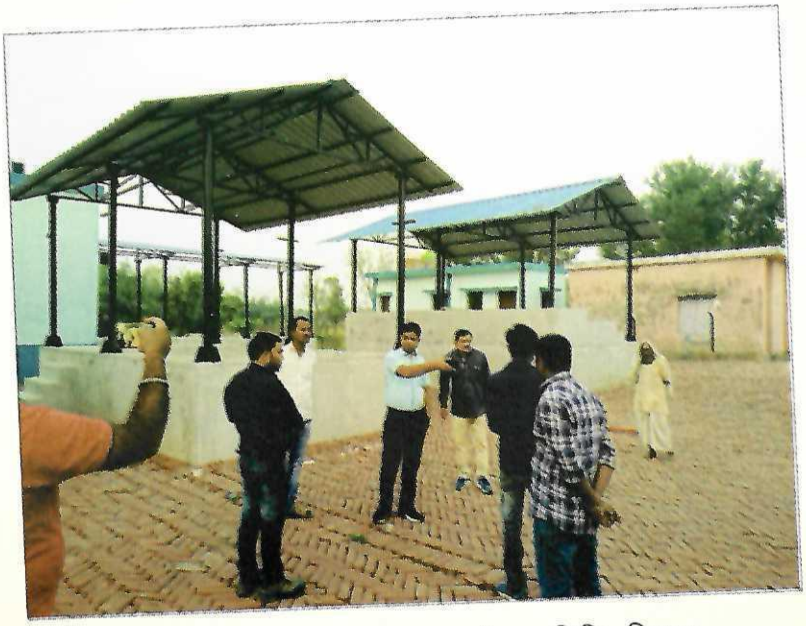

प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति, बियान,
समस्तीपुर का नवनिर्मित परिसर

एक सब के लिए, सब एक के लिए

बिहार सरकार

## सहकारिता विभाग
## बिहार सरकार

Conceptualized, Designed & Printed by:
punament@gmail.com